



प्रशासकीय प्रतिवेदन

2023-2024



महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्यप्रदेश



मध्यप्रदेश शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन

2023-2024



महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्यप्रदेश



डॉ. मोहन यादव
माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश



सुश्री निर्मला भूरिया
माननीय मंत्री, महिला एवं
बाल विकास विभाग, मध्यप्रदेश

सचिवालय

प्रमुख सचिव -	श्रीमती दीपाली रस्तोगी (15 मार्च 2024 तक)
	श्री संजय कुमार शुक्ल (16 मार्च 2024 से)
उप सचिव -	श्री अजय कटेसरिया (18 मार्च 2024 तक)
	श्रीमती माधवी नागेन्द्र (19 मार्च 2024 से)

संचालनालय महिला एवं बाल विकास

आयुक्त -	श्री राम राव भोंसले (28 जनवरी 2024 तक)
	श्रीमती सूफिया फारुकी वली (29 जनवरी 2024 से)

मध्यप्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम

अध्यक्ष (कार्यवाहक) -	सुश्री निर्मला भूरिया
प्रबंध संचालक -	श्रीमती निधि निवेदिता

मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग

अध्यक्ष -	रिक्त
सदस्य सचिव -	श्रीमती तृप्ति त्रिपाठी

मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग

अध्यक्ष -	श्री द्रविंद्र मोरे
सचिव -	श्रीमती शुभा वर्मा

अनुक्रमणिका

क्र.	विषय	पृष्ठ
1	विभाग का परिचय	1
2	विभाग के दायित्व	2
3	विभागीय संरचना	3
4	महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु हब	5
5	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	6
6	बेटी बचाओ – बेटी पढ़ाओ योजना	7
7	वन स्टॉप सेन्टर (सखी)	11
8	शक्ति सदन योजना	13
9	सखी निवास (कामकाजी महिला वसतिगृह)	14
10	हेल्पलाईन 181/1098	15
11	महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न	16
12	मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना	17
13	मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023	22
14	मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना	23
15	शौर्या दल	24
16	उदिता योजना	27
17	उषा किरण योजना एवं घरेलू हिंसा की पीड़िता के लिये सहायता योजना	28
18	जाबाली योजना	29
19	मध्यप्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम	30
20	मध्य प्रदेश राज्य समाज कल्याण बोर्ड	34
21	मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग	35
22	सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 अंतर्गत आंगनवाड़ी सेवाएं	38
23	पोषण 2.0 (पोषण अभियान)	41
24	एडॉप्ट एन आंगनवाड़ी कार्यक्रम	42
25	पोषण आहार	43
26	शालापूर्व अनौपचारिक शिक्षा	46
27	निर्माण	47
28	प्रशिक्षण	48
29	मिशन वात्सल्य	49
30	पालना योजना	53
31	जवाहर बाल भवन	54
32	मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग	56
33	मूल्यांकन एवं निगरानी	59
34	सामुदायिक सहभागिता एवं प्रचार गतिविधियां	64
35	बजट – एक समग्र विश्लेषण	70
36	जेंडर बजटिंग	72
37	चाईल्ड बजटिंग	74

विभाग का परिचय

महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना वर्ष 1986 में हुई थी। वर्ष 1988-1989 में इसे पृथक विभाग के रूप में स्थापित किया गया। विभाग प्रदेश की महिलाओं एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य व पोषण की स्थिति में सुधार लाने के लिये कई योजनाएं और कार्यक्रम संचालित कर रहा है। इनमें एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (आंगनवाड़ी सेवाएं), पोषण अभियान, एकीकृत बाल संरक्षण योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, वन स्टॉप सेन्टर, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना, लाडो अभियान, शौर्या दल, मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना, उदिता योजना, अटल बिहारी वाजपेयी बाल अरोग्य पोषण मिशन, मंगल दिवसों का आयोजन आदि प्रमुख हैं। महिलाओं और बच्चों के विकास हेतु प्रदेश शासन द्वारा किए गये प्रयासों को भारत सरकार द्वारा सराहा और पुरस्कृत किया गया है। अन्य राज्यों द्वारा इन प्रयासों को अपनाया भी गया है। इन प्रयासों से ही प्रदेश में भी मानव विकास सूचकांकों में सुधार दर्ज हो रहा है।

विभाग के दायित्व

- विभिन्न विभागों द्वारा महिलाओं व बच्चों के सर्वांगीण विकास से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन में समन्वयक की भूमिका निभाना ताकि योजनाओं का लाभ हितग्राहियों तक पहुँच सके।
- बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास के साथ स्वास्थ्य व पोषण की स्थिति में सुधार लाना तथा उन्हें कुपोषण से बचाना।
- विषम परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के समग्र कल्याण एवं पुनर्वास के लिये प्रयास करना।
- प्रदेश की महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य व पोषण की स्थिति में सुधार लाना।
- महिलाओं के संवैधानिक हितों को सुरक्षित रखना, महिलाओं के कल्याण, सुरक्षा से संबंधित कानूनों एवं विभिन्न योजनाओं और सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना।
- महिलाओं की स्वायत्तता एवं सशक्तिकरण सुनिश्चित करते हुए, उनकी स्थिति में निरन्तर सुधार लाने हेतु विभिन्न विभागों से समन्वय।

विभागीय संरचना

शासन स्तर (मंत्रालय)

प्रमुख सचिव – 1



उप सचिव – 1



अवर सचिव – 2



अनुभाग अधिकारी – 2



कार्यालयीन अमला

संचालनालय की संरचना

आयुक्त (आई.ए.एस.) – 2



अपर संचालक – 5



संयुक्त संचालक – 8



उप संचालक – 10



सहायक संचालक – 18



लेखाधिकारी – 3



कार्यालयीन अमला

अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन, मध्यप्रदेश

संयुक्त संचालक - 1



वित्तीय सलाहकार - 1



सहायक संचालक - 1



कार्यालीन अमला

बाल भवन एवं संस्थाएं

संयुक्त संचालक (बाल भवन) - 1



सहायक संचालक (बाल भवन) - 7



अधीक्षक आईसीपीएस (उप संचालक) - 1



अधीक्षक आईसीपीएस (सहायक संचालक) - 28



सहायक संचालक (संस्थाएँ) - 4



प्रशासक वन स्टॉप सखी सेंटर - 50



कार्यालीन अमला

संभाग से आँगनवाड़ी स्तर तक

क्षेत्रीय समन्वयक, महिला संसाधन केन्द्र
(संयुक्त संचालक संवर्ग) - 3



संभागीय संयुक्त संचालक - 10



संभागीय उप संचालक - 10



सहायक संचालक (संभागीय कार्यालय) - 10



जिला कार्यक्रम अधिकारी - 51



सहायक संचालक (जिला कार्यालय) - 150



मुख्य निर्देशिका, आँगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र - 10



बाल विकास परियोजना अधिकारी संवर्ग (बाल विकास परियोजना अधिकारी/विकासखंड महिला सशक्तिकरण अधिकारी/प्रशासक वन स्टॉप सेन्टर) - 816



पर्यवेक्षक + आँगनवाड़ी कार्यकर्ता +
सहायिका + कार्यालयीन अमला

महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु हब (HEW)

भारत सरकार के पत्र दिनांक 14/07/2022 द्वारा जारी नवीन दिशा-निर्देशों के अनुसार मिशनशक्ति-उपयोजना-सामर्थ्य अंतर्गत महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये हब (HEW) योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के माध्यम से सशक्तिकरण एवं विकास के लिए महिलाओं को विभिन्न संस्थागत व्यवस्थाओं से जोड़ा जावेगा, जिसमें स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा एवं व्यावसायिक परामर्श/प्रशिक्षण, वित्तीय समावेशन, उद्यमिता शामिल है। इस योजना में भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन का वित्तीय अनुपात क्रमशः 60:40 अनुपात में रहेगा।

- यह महिलाओं की विभिन्न संस्थागत एवं Schematic व्यवस्था में जोड़ने के लिये मार्गदर्शन, समर्थन एवं कड़ी के रूप में सहायता प्रदान करना।
- महिलाओं के सशक्तिकरण एवं विकास के लिए उन्हें विभिन्न संस्थागत व्यवस्थाओं से जोड़ना, जिसमें स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कैरियर एवं व्यावसायिक परामर्श/प्रशिक्षण, वित्तीय समावेशन, उद्यमिता आदि से जोड़ना।
- मिशन शक्ति के सभी घटकों के लिये पी.एम.यू. का कार्य करना।

उद्देश्य –

- ऐसा वातावरण तैयार करना जिसमें महिलाएं अपनी पूरी क्षमता को समझ कर उसका उपयोग कर सकें।

मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास के पत्र दिनांक 14/09/2023 द्वारा प्रदेश के समस्त जिलों में योजना का संचालन आरंभ किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।



प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)

भारत सरकार द्वारा दिनांक 01/01/2017 से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) प्रदेश के समस्त जिलों में "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013" के तहत संचालित है। मिशन शक्ति के सामर्थ्य घटक अंतर्गत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के स्वरूप में परिवर्तन करते हुए नवीन प्रावधान अनुसार योजना का क्रियान्वयन 01 अप्रैल 2022 से सम्पूर्ण भारत में लागू किया गया है। योजना का क्रियान्वयन भारत सरकार द्वारा संचालित पोर्टल PMMVY Soft के माध्यम से किया जा रहा है।

उद्देश्य —

गर्भवती महिलाओं को मजदूरी की हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति के रूप में नकद प्रोत्साहन प्रदान करने के साथ-साथ द्वितीय प्रसव पर बालिका जन्म को प्रोत्साहन प्रदान करना है।

प्रावधान —

- प्रथम प्रसव पर राशि रुपये 5,000/- दो किशतों में प्रदान किये जाने का प्रावधान है।
- द्वितीय प्रसव बालिका जन्म पर राशि रुपये 6,000/- का लाभ एक किशत में प्रदान किये जाने का प्रावधान है।

पात्रता —

- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाएं
- 40 प्रतिशत/पूर्णतः दिव्यांग महिलाएं,
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत गरीब रेखा वाले राशनकार्ड धारी महिलाएं,
- आयुष्मान भारत अन्तर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की हितग्राही महिलाएं
- ई-श्रम कार्ड धारी महिलाएं



- किसान सम्मान निधि योजना अन्तर्गत लाभान्वित महिला हितग्राही
- मनरेगा जॉब कार्ड धारी महिलाएं,
- 8 लाख प्रति वर्ष से कम पारिवारिक आय वाली महिलाएं,
- गर्भवती और धात्री आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं आशा कार्यकर्ता

उपलब्धि —

- योजना क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर 2022-2023 तक निरंतर प्रथम स्थान पर रहा है।
- वित्तीय वर्ष 2023-2024 में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अन्तर्गत 5,54,383 हितग्राहियों (दिनांक 29 जनवरी 2024 तक) का पंजीयन किया जा चुका है।

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना

घटना शिशु लिंगानुपात वर्तमान में सम्पूर्ण देश के लिये गहन चिंता का विषय है। यदि शिशु लिंगानुपात में यह गिरावट इसी प्रकार बनी रही तो भविष्य में जेंडर असंतुलन की विषम स्थिति से समाज का घोर नैतिक पतन होगा तथा भयावह स्थिति उत्पन्न होगी। इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए बालिकाओं की देखदेख, सुरक्षा, शिक्षा तथा लिंगानुपात में सुधार के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 22 जनवरी 2015 से हेतु बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना आरम्भ की गई है। योजना का मुख्य उद्देश्य लक्ष्य बालिकाओं का जन्मोत्सव मनाना एवं उनको शिक्षित करना है। वर्तमान में यह योजना प्रदेश के 52 जिलों में संचालित है।

योजना की नवीन वित्त व्यवस्था अनुसार वर्ष 2020-2021 के आधार पर जिन जिलों का SRB 918 से कम अथवा बराबर है, उन जिलों को रुपये 40 लाख एवं जिन जिलों का SRB 918 से 952 के बीच अथवा 952 के बराबर है, उन जिलों को रुपये 30 लाख तथा जिन जिलों का SRB 952 से अधिक है उन जिलों को रुपये 20 लाख का आवंटन दिया जाता है।

वर्ष 2015 में यह योजना तीन विभागों क्रमशः महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा शिक्षा विभाग के समन्वय से प्रारंभ की गई थी।

वर्ष 2022 से कौशल विकास, उद्यमिता विकास एवं अल्पसंख्यक कार्य विभाग को भी योजना में जोड़ा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य बेटियों को कुशल बनाने, कार्यस्थल में बालिकाओं, महिलाओं की सार्थक एवं समान भागीदारी की गतिविधियों को प्रारंभ करना व बालिकाओं को उच्च शिक्षा/कौशल विकास को बढ़ावा देना है। इसके लिये विशेष अभियान एवं जागरूकता कार्यक्रम चलाये जायेंगे। बालिकाओं की खेल के क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने व बालिकाओं की खेल प्रतिभा की पहचान कर उन्हें खेलो इंडिया अंतर्गत अथवा केन्द्र/राज्य की अन्य योजना/कार्यक्रम से जोड़ने के लिये उपयुक्त कार्यक्रम भी विकसित किये जायेंगे।

योजना के घटक का लक्ष्य विज्ञापन और जमीनी स्तर वाली गतिविधियों पर अधिक खर्च को प्रोत्साहित करना है जैसे बालिकाओं के बीच खेल को बढ़ावा देना,



आत्मरक्षा शिविर, बालिकाओं के शौचालय का निर्माण, सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन और सैनिटरी पैड उपलब्ध कराना, विशेष रूप से शैक्षणिक संस्थान, पीसी-पीएनडीटी एक्ट आदि के बारे में जागरूकता आदि।

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना का लक्ष्य –

- जन्म के समय लिंगानुपात (SRB) में हर साल 2 अंकों का सुधार।
- संस्थागत प्रसव के प्रतिशत में सुधार या उससे अधिक की दर पर बने रहना।
- प्रति वर्ष प्रसव-रोधी देखभाल (ANC) पंजीकरण में पहली तिमाही में 1 प्रतिशत की वृद्धि।
- प्रति वर्ष माध्यमिक शिक्षा स्तर पर नामांकन और बालिकाओं/महिलाओं के कौशल में 1 प्रतिशत की वृद्धि।
- माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर बालिकाओं के बीच स्कूल ड्रॉप-आउट की दर को रोकना।
- सुरक्षित माहवारी स्वच्छता प्रबंधन (NHM) के बारे में बालिकाओं के बीच जागरूकता बढ़ाना।

गतिविधियां –

- 1 नवजात बालिकाओं का स्वागत – योजनांतर्गत 12533 नवजात बालिकाओं का स्वागत किया गया।

- 2 बेटियों का पूजन—सभी शासकीय विभागों में कार्यक्रमों के आरंभ से पूर्व 7,355 बेटियों का पूजन किया गया।
- 3 संवेदीकरण कार्यक्रम — PCNPNDT Act अंतर्गत 37 संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किये गये।
- 4 पिक ड्राइविंग लाइसेंस— महिलाओं/बालिकाओं को त्वरित एवं सुविधा जनक रूप वाहन चालन हेतु 454 महिलाओं/बालिकाओं को लर्निंग लाइसेंस प्रदान किये गए।
- 5 जेंडर चैम्पियंस — समाज में बेटियों को सम्मान/सशक्त बनाने एवं उनके समग्र विकास हेतु आगे बढ़ाने तथा समाज की अन्य बालिका/महिला के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनाने के उद्देश्य से जिलों में 153 जेंडर चैम्पियंस का चयन किया गया।
- 6 भारत सरकार द्वारा जारी मासिक थीम अंतर्गत निम्नानुसार कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं :-
 - खेल की थीम पर आधारित, बॉली बॉल, दौड़, क्रिकेट, कैरम, रिले रेस, रस्सी कस्सी, नृत्य, खो-खो, आत्मरक्षा हेतु कराटे, कुश्ती, त्वाईकोंडो एवं ब्रेकिंग जेंडर नॉर्म्स आदि के 370 प्रशिक्षण व प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें 51,100 बालिकाओं ने प्रतिभागिता की।
 - कौशल विकास की थीम पर आधारित कम्प्यूटर/व्यावसायिक/हैण्ड क्राफ्ट/ब्यूटीशियन/मार्शल आर्ट/फाइनैशियल लिटरेसी/बैंक लोन प्राप्त किये जाने एवं पुलिस एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये जिसमें 39,735 प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया।
 - डिजिटल साक्षरता एवं साइबर सुरक्षा की थीम पर आधारित 295 प्रशिक्षण सत्र आयोजित किये गये जिसमें 9,150 बालिकाओं/महिलाओं द्वारा भाग लिया गया।
 - यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य की थीम पर आधारित लैंगिक उन्मुखीकरण, स्वच्छता माहवारी, सुरक्षित मातृत्व व शिशु देखभाल एवं टीकाकरण इत्यादि गतिविधियां आयोजित की गई जिसमें 3,476 प्रतिभागी सम्मिलित हुए।
- पोषण की थीम पर आधारित एनीमिया की रोकथाम हेतु स्वास्थ्य शिविर, संतुलित आहार चार्ट का प्रदर्शन, फूड हाट एवं स्वस्थ बालिका स्पर्धा, अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों द्वारा न्यूट्री गार्डन विज़िट आदि एवं 122 स्वास्थ्य शिविर आयोजित किये गये जिसमें 92,066 प्रतिभागी सम्मिलित हुए।
- बचाव एवं सुरक्षा की थीम पर आधारित स्कूली बालिकाओं को स्थानीय पुलिस थानों का भ्रमण, मार्शल आर्ट, कराटे, पॉक्सो आदि के 221 कार्यक्रम आयोजित किये गये जिसमें 5,142 प्रतिभागी सम्मिलित हुए। 3,248 बाल सभाओं का आयोजन किया गया। 3,118 संवेदीकरण कार्यक्रम कार्यक्रम आयोजित किये गये जिसमें 50,286 प्रतिभागी सम्मिलित हुए।
- जाने अपने अधिकार की थीम पर सोशल मीडिया का उपयोग एवं दुरुपयोग के संबंध में कार्यशाला, जेंडर संवेदीकरण, जागरूकता रथ, युवा संवाद, क्वीज़ कॉम्पीटिशन जैसे 134 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। 111 परिचर्चा, संवाद कार्यक्रम आयोजित किये गये जिसमें 32,575 बालिकाओं/महिलाओं ने भाग लिया।
- मानसिक एवं सायको सोशल स्वास्थ्य की थीम पर मानसिक स्वास्थ्य दिवस, मानसिक स्वास्थ्य सकारात्मक पहले पर परामर्श सत्र, किशोर अवस्था में मनः स्थिति, सायको सोशल परामर्श शिविर, विचार गोष्ठी, नशामुक्ति कार्यक्रम रैली, एनीमिया उन्मूलन, जागरूकता शिविर आदि कार्यक्रम आयोजित किये गये जिसमें 1,369 प्रतिभागी सम्मिलित हुए।
- योजनांतर्गत 7,144 पौधारोपण किये गये।

नवाचार —

- जिला सिंगरौली में महिलाओं को मधुबनी आर्ट प्रशिक्षण दिया गया।
- जिला सतना में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाली बालिकाओं को अध्ययन हेतु ई-लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई।

कौशल विकास जागरूकता



नवजात बालिकाओं का स्वागत



सशक्त वाहिनी प्रशिक्षण

महिला सशक्त वाहिनी की छात्राओं को दिया प्रशिक्षण

अनोखा तीर, हरदा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत महिला सशक्त वाहिनी कक्षा का संचालन किया जा रहा है, जिसमें कुल 72 बालिकाओं ने अपना पंजीयन करवाया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास



विभाग संजय त्रिपाठी ने बताया कि रविवार को फिजिकल कक्षा का आयोजन होमगार्ड विभाग के रोलैंड सिंह राजपुत, एसडीआईआरएफ सैनिक के सहयोग से नेहरू स्टेडियम हरदा में किया गया। जिसमें छात्राओं को गोला फेंक, रौंद आदि की तैयारी कराई गई। उल्लेखनीय है कि महिला सशक्तवाहिनी की कक्षा सोमवार से शुरुआत तक कार्यालय बाल कल्याण समिति किशोर न्याय बोर्ड बाल गृह भवन महिला एवं बाल विकास हरदा में संचालित है, जिसमें लिखित परीक्षा की तैयारी कराई जाती है एवं विशुद्ध प्रशिक्षण सामग्री अंक गणित, रीजनिंग, सामान्य विज्ञान तथा अन्य पुस्तकें एवं स्टेशनरी आदि उपलब्ध कराई जाती है ताकि निर्धन परिवार की बालिकाएं भी आसानी से पढ़ाई कर सकें।

ब्रेकिंग जेंडर नॉर्म्स अंतर्गत क्रिकेट एवं बॉलिबॉल प्रतियोगिता



न्यूट्रीगार्डन विज़िट कार्यक्रम



बालिकाओं को कौशल विकास उन्नवयन कार्यशाला एवं परामर्श सत्र का आयोजन



IEC मटेरियल प्रिंटिंग/निर्माण एवं वितरण



थाने का भ्रमण



वन स्टॉप सेंटर योजना

वन स्टॉप सेंटर योजना अंतर्गत समस्त प्रकार की हिंसा से प्रभावित महिलाओं एवं बालिकाओं को एक ही स्थान पर, विभिन्न आपातकालीन एवं गैर-आपातकालीन सहायता जैसे पुलिस सहायता, विधिक सहायता, अस्थायी आश्रय, चिकित्सा सहायता एवं परामर्श की सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती है। यह योजना मिशन शक्ति-संबल अंतर्गत भारत सरकार से शत प्रतिशत वित्तीय सहायता प्राप्त है।

लक्षित समूह –

वन स्टॉप सेंटर अंतर्गत जाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्र और वैवाहिक स्थिति से अपरोक्ष, हिंसा प्रभावित सभी महिलाओं/बालिकाओं की सहायता की जाती है। दीर्घ अवधि तक आश्रय की आवश्यकता की स्थिति में महिला/बालिका को विभाग द्वारा संचालित शक्ति सदन (स्वाधार गृह) में भेजा जाता है।

सहायता – वन स्टॉप सेंटर योजना अंतर्गत पीड़िता को निम्न सेवाएं दी जाती हैं :-

- आपातकालीन स्थिति में त्वरित रूप से संबल प्रदान कर असुरक्षित स्थिति से बचाव करना।
- आपातकालीन एवं गैर-आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकीय सहायता प्रदाय करना।
- प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज करने एवं परिस्थिति के अनुरूप पुलिस सहायता प्रदाय करवाने में सहायता।

- विधिक सहायता एवं परामर्श प्रदाय करना।
- सामाजिक एवं मानसिक दृढ़ता हेतु परामर्श करना।
- 5 दिन तक अस्थायी आश्रय प्रदान करना।

उपलब्धि –

प्रदेश में 57 वन स्टॉप सेंटर स्वीकृत व संचालित हैं। भारत सरकार द्वारा 56 वन स्टॉप सेंटर भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इनमें से 48 भवन निर्माण पूर्ण हो चुके हैं।

वर्ष 2023-2024 में माह दिसम्बर 2023 तक 16,180 महिलाओं को पंजीकृत कर सहायता प्रदान की गई है।

गतिविधियां –

1. मिशन शक्ति उप घटक संबल योजनान्तर्गत नवीन गाईड लाईन अनुसार वन स्टॉप (सखी) सेंटर के संचालन की स्वीकृति मध्य प्रदेश शासन के आदेश क्रमांक/2340/1114528/2023/50-2, दिनांक 09/10/2023 द्वारा दी गई है।
2. वन स्टॉप सेंटर में कार्यरत कर्मचारियों की गुणवत्ता में सतत सुधार हेतु UNFPA के माध्यम से दिनांक 26-27 अगस्त 2023 को सभी वन स्टॉप सेंटर के प्रशासकों, काउंसलर्स का दक्षता संवर्धन प्रशिक्षण किया गया है।



सफलता की कहानी

बड़ी बहन की हिम्मत ने दिखाई राह वन स्टॉप सेंटर की मदद से छोटी बहनों को दिलाया पढ़ाई का अधिकार

वन स्टॉप सेंटर इन्दौर में एक अनूठा प्रकरण आया जहां बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहनों की पढ़ाई के लिये अपने घर और छोटी बहनों के ससुराल पक्ष से लड़ाई लड़ी और वन स्टॉप सेंटर की मदद से पढ़ाई का अधिकार दिलाया।

महिला हेल्प लाइन नंबर 181 में शिकायत होने के बाद पुलिस द्वारा तीन बहनों को वन स्टॉप सेंटर इन्दौर में भेजा गया था। सेंटर पर परामर्श में मालूम हुआ की तीन बहनों में सबसे बड़ी बहन ने विवाह नहीं किया है। दोनों छोटी बहनों का विवाह हो चुका है। बड़ी बहन अपनी पढ़ाई पूरी कर वह एक कंपनी में कार्यरत है। परिवारजनों ने दोनों छोटी बहनों की इस डर से शादी कर दी है कि कहीं वे दोनों भी पढ़ाई और आत्मनिर्भर बनने की चाह के कारण आगे चलकर शादी नहीं करेंगीं। अपनी शादी के बाद दोनों छोटी बहने आगे पढ़ना चाहती थी, अपने पांव में खड़ा होना चाहती थी। लेकिन ससुराल वाले उन्हें पढ़ने नहीं दे रहे थे।

दोनों लड़कियों ने अपने पिता को यह समस्या बताई। पिता का कहना था कि मैं कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारे ससुराल वाले अगर आगे पढ़ने देते हैं तो ठीक वरना ससुराल वाले जैसे रखते हैं वैसे ही रहो। जबकि ससुराल वाले पढ़ाने को तैयार नहीं थे। दिन भर काम करवाना और बाहर नहीं निकलने देना और पढ़ाई की बात करने पर मारने की धमकियां देना और मारना।

दोनों लड़कियों ने अपनी बड़ी बहन को भी अपने आगे की पढ़ाई की चाह और ससुराल के विरोध के बारे में बताया। छोटी बहनों को कष्ट में देखकर बड़ी बहन ने तय किया कि वह अपनी बहनों की पढ़ाई रुकने नहीं देगी। बड़ी बहन अपनी दोनों बहनों को लेकर इंदौर पहुंच गई और उसने वहां पुलिस से अपनी बहनों के साथ हो रहे उत्पीड़न की जानकारी दी। पुलिस के द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए तीन बहनों को वन स्टॉप सेंटर इन्दौर में भेजा गया। वन स्टॉप सेंटर में उन्हें आश्रय दिया गया उनकी सारी ज़रूरतें पूरी की गईं।

वन स्टॉप सेंटर में दोनों बालिकाओं के मायके पक्ष और ससुराल पक्ष के लोगों को बुलाया गया। दोनों परिवारों एवं लड़कियों को परामर्श दिया गया। परामर्श सत्र में दोनों छोटी बहनों के ससुराल वाले इस बात पर राजी हो गये कि वह मायके में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करेंगीं। जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब वह अपने ससुराल चली जाएंगीं। इस दौरान ससुराल वाले उनके घर आकर अपनी बहू से मिल सकते हैं। ससुर ने अपनी बहू की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी भी ली। इस तरह वन स्टॉप सेंटर में 3 दिन आश्रय में रहने के बाद दोनों छोटी बहने खुशी-खुशी अपने माता-पिता के संग घर लौटी। बड़ी बहन भी अपनी नौकरी फिर जॉइन करने गईं।

लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जब दूसरे दिन दोनों छोटी लड़कियां और परिवार गांव पहुंचा तो समाजजनों ने पंचायत बैठाकर लड़कियों को जबरदस्ती ससुराल भेजने की कोशिश की। दोनों छोटी बहनों ने तत्काल बड़ी बहन से ये बात बताई। बड़ी बहन ने पुनः वन स्टॉप सेंटर इंदौर में संपर्क किया। जिला कार्यक्रम अधिकारी इन्दौर ने तत्काल जिला कार्यक्रम अधिकारी उज्जैन से संपर्क किया। जिला कार्यक्रम अधिकारी उज्जैन ने बालिकाओं के गांव में परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की टीम भेजी। टीम ने बालिकाओं के माता-पिता और गांव के लोगों को समझाईश दी। इसके बाद भी सामाजिक दबाव में लड़कियों और उनके परिजन को गांव में परेशान किया जा रहा था। इस सूचना के बाद प्रशासक वन स्टॉप सेंटर, इंदौर द्वारा गांव के पुलिस थाने में संपर्क करके बालिकाओं के पास पुलिस सहायता भेजी। पुलिस द्वारा सरपंच और गांव वालों को समझाया गया। यह समझाईश काम आई। इस तरह वन स्टॉप सेंटर की मदद से बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहनों की पढ़ाई का अधिकार दिलाया। अब दोनों छोटी बहने अपनी पढ़ाई पूरी कर रही हैं।

शक्ति सदन योजना

भारत सरकार के नए दिशा निर्देशों के अनुसार स्वाधार योजना एवं उज्ज्वला योजना का विलय किया जा कर मिशन शक्ति अंतर्गत शक्ति सदन के नाम से नवीन योजना 14 जुलाई 2022 से लागू की गई है। अब स्वाधार गृह को "शक्ति सदन" (Integrated relief and Rehabilitation home) के नाम से जाना जाएगा।

योजना के संचालन में भारत शासन एवं राज्य शासन का वित्तीय अंश 60:40 के अनुपात में रहेगा।

योजना का उद्देश्य –

- महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और सक्षम वातावरण बनाना
- महिला तस्करी की रोकथाम, अवैध व्यापार में गई महिलाओं सहित संकट में फंसी महिलाएं को विकट परिस्थितियों से निकाल कर समाज की मुख्यधारा में पुनः जोड़ना

पात्रता – शक्ति सदन योजना में कठिन परिस्थितियों में जीवनयापन करने वाली महिलाओं (निराश्रित, कल्याणी, जेल से छूटी हुई महिला, कैदी प्राकृतिक विपदाओं, से निराश्रित हुई महिलाएं अनैतिक व्यापार में संलग्न महिलाएं, हिंसा से पीड़ित, मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाएं आदि) को आश्रय, पोषण, वस्त्र, स्वास्थ्य सुविधा, कानूनी सलाह सहायता व अन्य आवश्यक सुविधाएं, उपलब्ध कराते हुए उनके पुर्नवास की व्यवस्था की जावेगी।

वर्तमान में प्रदेश के 13 जिलों में 14 शक्ति सदन संचालित हैं।

बजट – भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2023–2024 के लिए राशि रुपये 2,20,38,800/- का बजट जारी किया गया है।



सखी निवास (कामकाजी महिला वसतिगृह)

कामकाजी महिलाओं को अपने मूल निवास स्थान से बाहर सुविधाजनक व सुरक्षित आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार के सहयोग से महिला वसतिगृह/वर्किंग वूमेन हॉस्टल योजना लागू की गई है। यहां सभी वर्ग की कामकाजी महिलाओं को प्रवेश दिया जाता है। भारत सरकार की नवीन गाईड लाईन अनुसार मिशन शक्ति सामर्थ्य अंतर्गत इस वूमेन हॉस्टल योजना को "सखी निवास" नाम दिया गया है।

वसतिगृहों में रहवासी कामकाजी महिलाओं के लिये भोजन सुविधा के साथ ही उनके छोटे बच्चों के लिये डे-केयर सेन्टर भी रहता है। 18 वर्ष तक की लड़कियां एवं 12 वर्ष (प्राथमिक शिक्षा) की उम्र तक का बालक माता के साथ वसतिगृह में रह सकता है। कालेज में अध्ययनरत एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिलाओं एवं छात्राओं को भी वसतिगृह में स्थान उपलब्ध होने पर प्रवेश की स्वीकृति दी जा सकेगी जो अधिकतम 30 प्रतिशत होगी।

प्रदेश में वर्तमान में कुल 02 शासकीय वसतिगृह संचालित हैं :-

क्रमांक	जिला	पता	क्षमता
1	भोपाल	"स्वयंसिद्धा" महिला वसतिगृह	100
2	इंदौर	महिला वसतिगृह, के.ई.एच कंपाउंड, होटल श्रीमाया के पास	50

- इंदौर जिले में ही राशि रुपये 8.13 करोड़ की लागत से 100 महिलाओं की क्षमता वाले वसतिगृह का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।
- ग्वालियर जिले में 100 महिलाओं की क्षमता वाले वसतिगृह का प्रस्ताव मध्यप्रदेश शासन द्वारा भारत सरकार को प्रेषित किया गया है।



हेल्प लाइन-181 / 1098

महिला हेल्प लाइन – 181

हिंसा से प्रभावित महिलाओं की सहायता, सूचना व सहयोग हेतु महिला हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 181 की सेवाएं 1 मार्च 2020 से प्रारंभ की गई हैं। यह 24*7 संचालित है एवं इसे प्रदेश के समस्त वन स्टॉप सेंटर से एकीकृत किया गया है। महिला हेल्पलाइन के माध्यम से महिलाओं को निम्न सेवाएं प्रदाय की जा रही हैं –

- पुलिस/अस्पताल/एम्बुलेंस/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण /संरक्षण अधिकारी /वन स्टॉप सेंटर आदि की सुविधा उपलब्ध कराना।
- हिंसा से प्रभावित महिलाओं को शासकीय सेवाओं/योजनाओं की जानकारी देना।
- परामर्शदाताओं के माध्यम से महिलाओं को भावनात्मक आवश्यक सहयोग प्रदान करना।

उपलब्धि – 1 मार्च 2020 से 31 दिसम्बर 2023 तक कुल 63,116 महिलाओं को सहायता प्रदाय की गई है।

चाइल्ड हेल्प लाइन – 1098

दिनांक 31/08/2023 से पूर्व मध्यप्रदेश में चाइल्ड हेल्पलाइन-1098 का संचालन चाइल्ड इंडिया फाउंडेशन (NGO) के द्वारा किया जा रहा था। भारत सरकार के नये निर्देशों के अनुसार दिनांक 31/08/2023 के पश्चात अब प्रदेश में इसका

संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा भोपाल स्थित कण्ट्रोल रूम से किया जा रहा है।

चाइल्ड हेल्पलाइन-1098 पर प्राप्त होने वाले कॉल्स को सम्बंधित कॉल रैस्पोंडर द्वारा कॉल की प्रकृति के आधार पर उन्हें आपातकालीन सेवाओं के लिए ERSS-112 (डायल-100) अथवा गैर आपातकालीन सेवाओं के लिए संबन्धित जिलों के जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) को प्रेषित किये जाते हैं।

उपलब्धि –

01 सितम्बर 2023 से 31 दिसम्बर 2023 तक कुल 2065 बच्चों को सहायता प्रदाय की गई है।

भारत सरकार के नवीन दिशा निर्देश “वन नेशन-वन हेल्पलाइन” के अनुपालन में महिला हेल्पलाइन – 181 एवं चाइल्ड हेल्पलाइन – 1098 का संचालन एवं आपातकालीन सेवा – 112 (डायल 100) के साथ एकीकरण की प्रक्रिया अंतर्गत मध्यप्रदेश में महिला एवं बाल विकास के कण्ट्रोल रूम की स्थापना 31 अगस्त 2023 से की गई है। संकट या कठिन परिस्थितियों में कोई भी महिला अथवा 18 वर्ष से कम उम्र का बच्चा अथवा उसकी ओर से कोई भी व्यक्ति नंबर 181 या 1098 या 112 (डायल 100) पर सप्ताह के सातों दिवस एवं 24 घंटे (24*7) कॉल कर सकता है। यह तीनों हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर हैं।

हिंसा से प्रभावित महिलाओं की सहायता, सूचना एवं सहयोग हेतु

181

महिला हेल्पलाइन

• ADVICE • RESCUE • COUNSELING

- पुलिस/ अस्पताल/ एम्बुलेंस/ जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण/ संरक्षण अधिकारी/ वन स्टॉप सेंटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराती है।
- शासकीय सेवाओं, योजनाओं की जानकारी देती है।
- उचित परामर्श/आवश्यक सेवाएं/परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराती है।
- 24 X 7 उपलब्ध है।

चुप्पी तोड़ें, खुलकर बोलें

महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन



महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोषण) अधिनियम 2013 एवं नियम 2013

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोषण) अधिनियम 2013 एवं नियम 2013 महिलाओं को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण तथा गरिमा से कार्य करने का अधिकार प्रदान करता है। अधिनियम अन्तर्गत समस्त नियोक्ता (शासकीय/अशासकीय) अथवा कार्य स्थल के प्रभारी (सार्वजनिक/निजी/गैर सरकारी) का कर्तव्य है कि यौन उत्पीड़न की रोकथाम करें तथा इस बारे में सभी अपेक्षित कदम उठा कर यौन उत्पीड़न के कृत्यों से जुड़ी समस्याओं का समाधान करें।

समस्त जिलो में अधिनियम अंतर्गत स्थानीय समिति का गठन किया गया है। अधिनियम 2013 की धारा 5 अंतर्गत सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना दिनांक 20.01.2014 द्वारा समस्त जिलों के अपर कलेक्टर (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत) को पदेन जिला अधिकारी अधिसूचित किया है।

कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम अंतर्गत भारत सरकार के ऑनलाईन पोर्टल www.shebox.nic.in पर कर सकते हैं।



मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना

स्वावलंबी बालिका – सशक्त समाज का आधार

बालिका जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच, लिंग अनुपात में सुधार, बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना मध्यप्रदेश में 01 अप्रैल 2007 से लागू की गई है। प्रदेश की बालिकाओं को मिलने वाले लाभ को स्थायी बनाने हेतु सरकार द्वारा “मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी (बालिका प्रोत्साहन) अधिनियम, 2018 लागू किया गया, जो प्रत्येक बालिका को मिलने वाली राशि की गारन्टी प्रदान करता है।

1. योजना के लिए पात्रता

पात्रता एवं शर्तें (सामान्य प्रकरणों के लिये)

1. 1 जनवरी 2006 अथवा उसके पश्चात् जन्मी बालिका।
2. माता-पिता मध्यप्रदेश के मूल निवासी हों।
3. माता-पिता जिनकी दो या दो से कम संतान हो साथ ही द्वितीय संतान के जन्म पर परिवार नियोजन अपनाया गया हों।
4. माता-पिता आयकर दाता न हों।
5. प्रथम प्रसव पर जन्मी बालिका को उसके माता/पिता द्वारा बिना परिवार नियोजन अपनाने की शर्त पर लाभ दिया जावेगा। द्वितीय प्रसव उपरांत परिवार नियोजन की शर्त यथावत रहेगी।

2. योजना को प्रभावी बनाने हेतु संशोधन

1. जिस परिवार में अधिकतम दो संतान हैं तथा माता अथवा पिता की मृत्यु हो गई है, उस बच्ची के जन्म के 5 वर्ष होने तक पंजीकरण कराया जा सकता है। परंतु इस प्रकार के प्रकरण में यदि महिला/पुरुष की दूसरी शादी होती है, तथा पूर्व से ही दो बच्चें हैं तो दूसरी शादी से उत्पन्न पुत्री को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

2. अनाथ बालिकायें या दत्तक पर ली गई बालिकाओं को भी योजना का लाभ प्रदाय किया जाएगा।
3. प्रथम प्रसूति के समय एक साथ तीन लड़कियां होने पर भी तीनों बच्चियों को योजना का लाभ मिलेगा।
4. जेल में बन्द महिला कैदियों से जन्मी पात्र बालिकाओं को योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जायेगा।
5. स्वास्थ्य संबंधी कारणों से जिन परिवारों द्वारा परिवार नियोजन नहीं अपनाया है उन प्रकरणों में एक वर्ष के स्थान पर दो वर्ष तक प्रकरण स्वीकृत किये जायेंगे।
6. बलात्कार पीड़ित बालिका या महिला से जन्मी सन्तान बालिका को योजना का लाभ दिया जायेगा।



3. योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया

1. कोई भी हितग्राही इंटरनेट सेवा/कैफे, लोक सेवा केन्द्र, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से योजना अंतर्गत आवेदन कर सकता है।
2. हितग्राही बालिका के पंजीयन क्रमांक, बालिका के नाम, जन्मतिथि, माता अथवा पिता के नाम से बालिका की जानकारी योजना की वेबसाइट ladlilaxmi.mp.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

4. योजना का विस्तार

लाड़ली बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने एवं उनकी उच्च शिक्षा सुनिश्चित हो सके, इस उद्देश्य से वर्तमान में संचालित मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना का विस्तार करते हुये 06 मई 2022 को राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0 लागू की गई है, जिसमें निम्न प्रावधान शामिल किए गए हैं:-

1. लाड़ली लक्ष्मी दिवस उत्सव के रूप में राज्य, जिला एवं ग्राम पंचायत स्तर पर प्रति वर्ष 02 मई को आयोजन किया जाए।
2. ग्राम पंचायतों को जिला स्तर से लाड़ली लक्ष्मी फ्रेण्डली घोषित किया जाए।
3. लाड़ली बालिकाओं को कक्षा 12वीं के पश्चात् स्नातक अथवा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में (पाठ्यक्रम अवधि न्यूनतम दो वर्ष) प्रवेश लेने पर राशि रु. 25000/- की प्रोत्साहन राशि दो समान किस्तों में पाठ्यक्रम अवधि के प्रथम एवं अंतिम वर्ष में दिए जाएं।
4. लाड़ली बालिकाओं को उच्च शिक्षा (स्नातक तक) का शिक्षण शुल्क शासन द्वारा वहन किया जाए।
5. मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0 की गतिविधियों के सुचारु क्रियान्वयन के लिए पोर्टल का निर्माण एवं उन्नयन किया जाए।

5. बालिका को मिलने वाले लाभ

- प्रकरण स्वीकृति उपरांत रुपये 1,43,000/- का आश्वासन प्रमाण पत्र प्रदाय दिया जायेगा।

- योजना के पात्र हितग्राहियों को राशि का भुगतान महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कक्षा 6वीं में प्रवेश पर रुपये 2000/-, कक्षा 9वीं में प्रवेश पर रु. 4000/-, कक्षा 11वीं में प्रवेश पर रुपये 6000/- एवं कक्षा 12वीं में प्रवेश पर रु. 6000/- ई-पेंमेंट के माध्यम से किया जाता है।
- लाड़ली बालिकाओं को कक्षा 12वीं के पश्चात् स्नातक अथवा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में (पाठ्यक्रम अवधि न्यूनतम दो वर्ष) प्रवेश लेने पर राशि रु. 25000/- की प्रोत्साहन राशि दो समान किस्तों में पाठ्यक्रम अवधि के प्रथम एवं अंतिम वर्ष में दिए जाएंगे।
- राशि रूपए एक लाख का भुगतान 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर किया जाएगा, बशर्ते हितग्राही बालिका कक्षा 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित हो चुकी हो और यदि वह विवाहित है तो उसका विवाह, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में उल्लेखित न्यूनतम विहित आयु पूर्ण करने के पश्चात् हुआ हो।

6. आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी

1. जन्म प्रमाण-पत्र
2. मूल निवास प्रमाण-पत्र (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पहचान, यदि कोई हो, तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र)
3. आंगनवाड़ी केन्द्र में पंजीयन हो जाने पर पर्यवेक्षक/आंगनवाड़ी केन्द्र के प्रभारी का सत्यापन प्रमाण पत्र
4. बालिका का अभिभावक के साथ फोटो
5. अभिभावक का आयकर दाता न होने का स्व-घोषणा पत्र
6. द्वितीय प्रसव पर जन्मी बालिका की स्थिति में माता/पिता का परिवार नियोजन अपनाएँ जाने संबंधी प्रमाण-पत्र
7. बालिका की समग्र आई.डी. की छायाप्रति

7. योजना अंतर्गत नियमों में संशोधन

मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के रूप में योजना में हुए परिवर्तन अनुसार योजना के संशोधित अधिनियम 2022 राजपत्र में प्रकाशित किए गए।

मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास का आदेश क्र. आदेश क्र. 1921/1103013/ 2022/50-2 भोपाल, दिनांक 21.07.2023 द्वारा मध्यप्रदेश लाडली लक्ष्मी (बालिका प्रोत्साहन) योजना नियम 2020 में संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार “कालातीत प्रकरणों पर गुण दोष के आधार पर यथोचित निर्णय कलेक्टर द्वारा किया जाएगा”।

8. योजना अंतर्गत गतिविधियां

1. दिनांक 02 मई 2023 को प्रदेश में राज्य एवं जिला स्तर पर लाडली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित गतिविधियां आयोजित की गई:-

- माननीय मुख्यमंत्रीजी के मुख्य आतिथ्य में भोपाल में राज्यस्तरीय लाडली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन किया गया।
- लाडली उत्सव कार्यक्रमों का आयोजन ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय एवं जिला स्तर पर किया गया।
- ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय, जिला एवं राज्य स्तर पर लाडली लक्ष्मी वाटिका की स्थापना हेतु वृक्षारोपण किया गया।
- लाडली फ्रेंडली ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया गया।
- लाडली बालिकाओं को आश्वासन प्रमाण पत्र वितरित किये गये।
- उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त बालिकाओं को सम्मानित किया गया।

2. लाडली उत्सव के तहत दिनांक 9 मई से 15 मई 2023 के दौरान विभिन्न गतिविधियों का आयोजन निम्नानुसार किया गया:-

- दिनांक 09 मई 2023 से 15 मई 2023 तक लाडली लक्ष्मी उत्सव के दौरान प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र

पर विशेष स्वरुचि भोज का आयोजन किया गया। उत्सव के पूर्व एवं उत्सव के दौरान आंगनवाड़ी केन्द्रों में स्थापित पोषण मटके के माध्यम से जन सहभागिता सुनिश्चित करते हुए खाद्यान्न सामग्री प्राप्त की गई।

- ग्राम एवं परियोजना स्तर पर लाडली लक्ष्मी क्लब की बैठकें आयोजित की गई जिसमें बालिकाएं, उनके अभिभावक और विभागीय अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित हुए।
- ग्राम, नगरीय निकाय एवं जिला स्तर पर इनडोर खेल प्रतियोगिता एवं ऑउटडोर खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश की बालिकाओं ने भाग लिया।
- लाडली लक्ष्मी फ्रेंडली ग्राम पंचायतों की बैठकें आयोजित की गई जिसमें सरपंच, उप सरपंच एवं ग्राम पंचायत सदस्य उपस्थित हुए। ग्राम/नगरीय निकाय स्तर पर बालिकाओं ने भाग लिया।
- ग्राम, परियोजना एवं जिला स्तर पर लाडली बालिकाओं को वित्तीय डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण दिया गया।
- ग्राम, परियोजना एवं जिला स्तर के बालिकाओं को साईबर क्राईम पर जानकारी व प्रशिक्षण दिया गया।
- ग्राम पंचायत, परियोजना एवं जिला स्तर पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता/कविता पाठ में बालिकाओं ने भाग लिया गया।
- स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन ग्राम, नगरीय एवं जिला स्तर पर बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तथा लाडली बालिकाओं को आयरन फॉलिक एसिड टेबलेट भी दी गई।
- ग्राम, नगरीय एवं जिला स्तर पर बालिकाओं का सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
- लाडली बालिकाओं को ग्राम, परियोजना, जिला स्तर पर बैंक, ए.टी.एम., डाकघर, थाना एवं स्थानीय शासकीय कार्यालयों का भ्रमण कराया गया।
- ग्राम स्तर, नगरीय निकायों एवं जिला स्तर पर लोकगीत/वाद्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

- ग्राम, नगरीय एवं जिला स्तर पर बालिकाओं का ई-केवाईसी किया गया।
- ग्राम, नगरीय एवं जिला स्तर पर बालिकाओं का जन्मोत्सव मनाया गया।
- 05 वर्ष तक की बालिकाओं के माता-पिता से ग्राम एवं जिला स्तर पर संवाद किया गया।
- बालिकाओं द्वारा चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लिया गया।
- शिक्षा या अन्य क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त करने वाली 195 बालिकाओं को औद्योगिक क्षेत्र अनंत स्पिनिंग मिल वर्धमान निटिंग, यार्न मंडीदीप, आई.बी. ऑयल इंडस्ट्रीज श्योपुर, नेशनल स्कील ट्रेनिंग सेन्टर, इंदौर, साँची दुग्ध उत्पाद संघ, जबलपुर, सहकारी दुग्ध संघ, बैतूल, सीमेन्ट फैक्ट्री सतना, औद्योगिकी क्षेत्र प्रतापपुरा, हेन्ड पेपर फैक्ट्री तारा ग्राम सागर एवं अनीक औद्योगिकी मिल प्लांट तथा सोयाप्लांट देवास,

विक्रम आर्या फूड प्रोडक्ट प्राईवेट लिमिटेड, भिण्ड, पटोला इण्डस्ट्रीज खेड़ा इटारसी नर्मदापुरम्, हेन्डलूम पार्क चंदेरी एवं औद्योगिकी क्षेत्रों के अतिरिक्त रीजनल साइंस सेंटर, शौर्या स्मारक-भोपाल, अन्तर्राष्ट्रीय देवी अहिल्या बाई होलकर हवाई अड्डा, महिला ड्राइविंग स्कूल, ट्रेजर आईलेड मॉल-इन्दौर, भेड़ाघाट, बेलेसिंगरॉक, मदन महल किला- जबलपुर, सापना डेम, सोहागपुर, फॉरेस्ट नर्सरी, तवा डेम-नर्मदापुरम्, व्हाइट टाइगर सफारी मुकुन्दपुर-सतना, ओरछा वाइडलाइफ सेन्चुरी-निवाड़ी एवं बटेश्वर, मीतावली व पड़ावली-मुरैना, म्यूजियम, कौशिक महल, चंदेरी का किला, ग्वालियर का भ्रमण कराया गया।

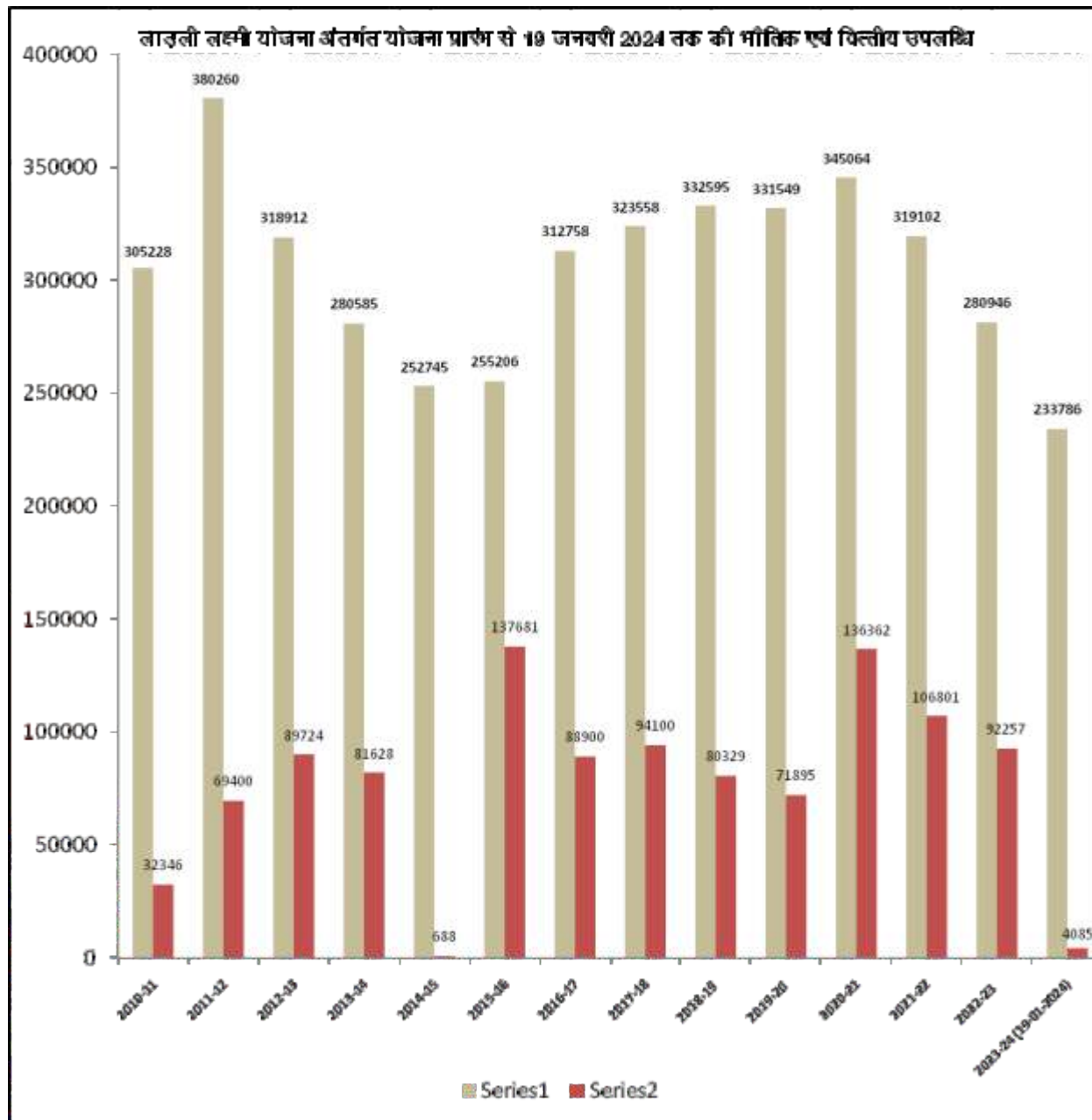
9. माँ तुझे प्रमाण कार्यक्रम अंतर्गत 120 लाइली बालिकाओं को खेल एवं युवक कल्याण विभाग के सहयोग से दिनांक 01 जून 2023 को हुसैनीवाला वाघा बार्डर का भ्रमण कराया गया।



10. उपलब्धियां

- योजनान्तर्गत मध्यप्रदेश के 52 जिलों के 313 विकासखण्डों के 52,117 ग्रामों में दिनांक 31 जनवरी 2024 तक 46.99 लाख से अधिक बालिकाओं को लाभान्वित किया जा चुका है। वर्ष 2023-2024 में दिनांक 19 जनवरी 2024 तक 2.33 लाख बालिकाओं का पंजीयन किया गया है।

- लाड़ली लक्ष्मी योजना में पंजीकृत हितग्राहियों की बढ़ती हुई संख्या एवं उनकी उत्तरोत्तर शैक्षणिक प्रगति को देखते हुए योजना अपने उद्देश्य "स्वावलंबी बालिका – सशक्त समाज का आधार" की पूर्ति करने में सफल हो रही है।



मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 प्रारंभ की गई है। यह योजना प्रदेश की महिलाओं को स्वयं एवं अपने बच्चों के पोषण-स्वास्थ्य देखभाल के साथ-साथ आत्म स्वालंबन की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।

- राज्य सरकार द्वारा माह जून 2023 में प्रथम बार कुल 1,25,06,186 हितग्राहियों को राशि रुपये 1000/- प्रतिहितग्राही के मान से कुल राशि रुपये 1209.64 करोड़ अंतरित की गयी एवं उसके पश्चात प्रतिमाह 10 तारीख अथवा शासन द्वारा नियत तारीख को नियमित रूप से राशि अंतरित की जा रही है।
- योजना में मध्यप्रदेश की निवासी 23 से 60 वर्ष आयु की विवाहित महिलाओं जिसमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्त महिलाओं को सम्मिलित किया गया था। माह सितम्बर 2023 में न्यूनतम आयु सीमा कम करते हुये 21 से 60 वर्ष की महिलाओं एवं पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करने की दशा में चार पहिया वाहन के रूप में केवल ट्रेक्टर वाहन स्वामी परिवार की महिलाओं को भी योजनान्तर्गत पात्र माना गया है।
- माह सितम्बर 2023 में कुल 1,31,02,182 महिलाओं को 1269.08 करोड़ अंतरित किये गये। माह अक्टूबर 2023 से समस्त पात्र महिला हितग्राहियों को प्रतिमाह मिलने वाली राशि में रुपये 250/- की बढ़ोतरी की गयी और राशि रुपये 1,250/- की आर्थिक सहायता योजना के प्रावधानों अनुसार प्रदान की जा रही है।
- योजना अंतर्गत बैंक के माध्यम से पात्र महिलाओं को उक्त मासिक आर्थिक सहायता का भुगतान उनके आधार लिंकड डीबीटी इनेबल्ड बैंक खाते में उनके आधार के माध्यम से किया जाता है।
- माह जनवरी 2024 में योजनान्तर्गत पंजीकृत पात्र हितग्राहियों की संख्या 1,29,26,835 है।
- प्रदेश सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण को गति प्रदान करने और शासन की योजनाओं के पर्यवेक्षण और आमजन में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से कुल 60,460 ग्रामों और नगरीय वार्डों में लाड़ली बहना सेना का गठन किया गया जिनमें कुल 7,70,481 महिलायें सेना के सदस्य के रूप में जुड़ी हैं।



मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना

एसिड अटैक विक्टिम, बलात्कार से पीड़ित महिला अथवा बालिका, अग्नि पीड़ित, दुरव्यापार से बचायी गयी महिला, बाल विवाह पीड़िता/बालिका, आश्रय गृहों में निवासरत बालिका/महिला, जेल से रिहा महिला आदि विपत्तिग्रस्त, पीड़ित बालिकाओं/महिलाओं को पारिवारिक सहायता नहीं मिल पाती है जिससे उनके जीवन यापन के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। ऐसी पीड़ित बालिकाओं/महिलाओं को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिये “मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना” प्रदेश में सितम्बर 2013 से प्रारंभ की गई है।

उद्देश्य –

विपत्तिग्रस्त/पीड़ित/असहाय/निराश्रित महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में पुनर्स्थापित करना। उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, स्व-रोजगार के लिये प्रेरित करना। उनका सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर बढ़ाना।

पात्रता –

- हितग्राही लक्षित समूह अनुसार पीड़ित (Victim) की श्रेणी में आती हो।
- मानसिक रूप से विकसित न हो।
- लक्ष्य समूह अनुसार आवेदिका/उसके परिवार का मुखिया गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करता हो। परन्तु दहेज पीड़ित/अग्नि पीड़ित, बलात्कार एवं एसिड अटैक विक्टिम, जेल से रिहा महिला, नारी निकेतन, शॉर्ट स्टे होम, शासकीय/विभागीय मान्यता प्राप्त बालिका गृह, आश्रय गृह, अनुरक्षण आदि में रहने वाली महिलाओं को इससे छूट रहेंगी।
- सामान्य वर्ग महिला की उम्र 45 वर्ष से कम हो। विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ावर्ग की महिला होने की स्थिति में 50 वर्ष।
- प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक

योग्यता होना अनिवार्य होगी। कम पढ़ी-लिखी/साक्षर/अनपढ़ महिलाओं के लिये उनकी योग्यता अनुसार प्रशिक्षण दिये जायेंगे।

प्रशिक्षण के विषय –

फार्मेसी, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, आया/दाई/वार्ड परिचर, ब्यूटिशियन, शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट कोर्स (कुकिंग/बैकिंग), आई.टी.आई./पॉलीटेक्निक कोर्स, हॉस्पिटलिटी, होटल/ईवेन्ट मैनेजमेंट, प्रयोगशाला सहायक, बी.एड/डी.एड (सिर्फ शासकीय संस्थान से), अन्य प्रशिक्षण जो कि शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाते हैं।

प्रशिक्षण व्यय –

प्रशिक्षण पर होने वाला पूर्ण व्यय जिसमें प्रशिक्षण शुल्क, आवासीय व्यवस्था शुल्क, भोजन एवं शिष्यवृत्ति आदि का भुगतान विभाग द्वारा वहन किया जाता है।

शिष्यवृत्ति –

प्रशिक्षण अवधि में 500/- प्रति हितग्राही/प्रतिमाह शिष्यवृत्ति देय होगी।

मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना में हितग्राही सफलतापूर्वक प्रशिक्षण लेने के उपरांत आर्थिक रूप से समर्थ बनकर समाज के सामने उदाहरण पेश करेंगी एवं आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार की जिम्मेदारी का वहन कर सकेंगी।

उपलब्धि –

मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजनान्तर्गत योजना प्रारंभ होने से 15 जनवरी 2024 तक कुल 4,175 हितग्राहियों का चयन किया जाकर, विभिन्न विधाओं में शासकीय/अशासकीय संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

शौर्या दल

भारत के संविधान में महिला व पुरुष दोनों को समान अधिकार प्राप्त हैं। इन अधिकारों का हनन ना हो इस हेतु कानून भी बनाये गये हैं। प्रत्येक नागरिक चाहे वह महिला हो या पुरुष अपने संपूर्ण अधिकारों का उपयोग करते हुए सम्मान पूर्वक जीवन जी सकता है। लेकिन यह तभी संभव है जब उसे अपने अधिकारों का पूर्ण ज्ञान हों और वह अपने अधिकारों की रक्षा करने में सक्षम हों।

निर्भया घटना के पश्चात महिला एवं बाल विकास विभाग मध्यप्रदेश द्वारा वर्ष 2013 में शौर्या दलों का गठन किया गया। शौर्या दलों के गठन का उद्देश्य प्रारंभिक स्तर पर ही महिला अपराधों की जानकारी प्राप्त करना और अपराध घटित होने से पूर्व ही उसे रोकना था। शौर्या दल में 5 महिलाएं एवं 5 पुरुष कुल 10 सदस्य थे जिनका कार्य समाज में महिलाओं व बालिकाओं के प्रति सकारात्मक वातावरण निर्माण, योजनाओं का प्रचार-प्रसार, अपराधों की जानकारी, समझाईश आदि था। शौर्या दलों का गठन प्रारंभ में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के छः जिलों से किया गया। इन छः जिलों में शौर्या दलों द्वारा घरेलू हिंसा, बाल विवाह, विधवा विवाह, ट्रेफिकिंग आदि में प्रशंसनीय कार्य किया, जिसके फलस्वरूप शासन द्वारा वर्ष नवम्बर 2016 से प्रदेश के 51 जिलों में शौर्या दलों को संचालित करने का निर्णय लिया गया।

समस्त किशोरी बालिकाओं व महिलाओं को एक दल में

संगठित कर महिला शक्ति को विस्तार देने के उद्देश्य से फरवरी 2023 में शौर्या दल को नवीन स्वरूप में परिवर्तित कर प्रदेश के समस्त जिलों के प्रत्येक ग्राम/वार्ड स्तर पर प्रत्येक आंगनवाड़ी क्षेत्र में शौर्या दल का गठन किया गया है।

उद्देश्य –

- आदिवासी, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की महिलाओं व किशोरी बालिकाओं को एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराना, जहां वे स्वयं के आस्तित्व व विकास की सोच को सुदृढ़ कर सकें।
- महिलाएं व किशोरी बालिकाएं अपने मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक हों एवं इनका उपयोग करने में सक्षम हों।
- स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, आदि के क्षेत्र में महिलाएं एवं किशोरी बालिकाएं अपनी समान पहुँच बना सकें।
- महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं के प्रति समाज की नकारात्मक सोच, कुप्रथाओं, भेदभावों में परिवर्तन लाना।
- महिलाओं व किशोरी बालिकाओं के मुद्दों को समाज के समक्ष दृढ़ता से प्रस्तुत करना।
- सामाजिक विकास में महिलाओं व किशोरी बालिकाओं की भागीदारी को बढ़ावा।



- महिलाओं व किशोरी बालिकाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव लाना।

गठन एवं स्वरूप —

- 1 ग्राम/वार्ड स्तर पर प्रत्येक आंगनवाड़ी क्षेत्र पर शौर्या दल का गठन किया जाता है, जिसमें आंगनवाड़ी क्षेत्र की समस्त इच्छुक 15 से 45 वर्ष आयु वर्ग की बालिका/महिला सदस्य होती है।
- 2 शौर्या दल के सदस्यों में से एक प्रबंधन समिति एवं 5 विशेष कार्य समितियां होती है।
- 3 पांच विशेष कार्य समितियों इस प्रकार होंगी :-
 1. बेटा बचाओ-बेटी पढ़ाओ (बालिका शिक्षा)
 2. स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता
 3. आर्थिक सशक्तिकरण
 4. कुप्रथा एवं महिला हिंसा रोकथाम
 5. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम 2020 (पॉक्सो) के प्रावधानों का उपयोग करने हेतु प्रचार-प्रसार।

इनके अतिरिक्त समय-समय पर आवश्यकतानुसार अन्य समितियां बनाई जा सकेंगी।

शौर्या दल के सामान्य कार्य —

- 1 महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं एवं बच्चों



से संबंधित कार्यों, शासकीय योजनाओं की जानकारी देना।

- 2 आंगनवाड़ी केंद्र में दी जा रही सेवाओं में सहयोग करना।
- 3 महिला व बालिकाओं से संबंधित मुद्दों जैसे बाल विवाह, दहेज-प्रथा, घरेलू हिंसा, लिंग आधारित भेदभाव आदि पर ग्रामवासियों को जागरूक करना।
- 4 कुप्रथा व अपराध से प्रभावित महिला व किशोरी बालिका को सहयोग व मार्गदर्शन प्रदान करना।
- 5 सभी शालात्यागी व शाला अप्रवेशी बालिकाओं को शाला में प्रवेश कराना।
- 6 शाला जाने की उम्र पार कर चुकी बालिकाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने पर्यवेक्षक को सूची उपलब्ध कराना।
- 7 अशिक्षित महिलाओं के लिए साक्षरता कक्षाएं चलाने पर्यवेक्षक को जानकारी देना।
- 8 ग्राम/वार्ड की महिलाओं को बैंक के कार्य, विभिन्न शासकीय विभागों के कार्यों अस्पताल, पुलिस स्टेशन आदि की कार्यप्रणाली, एफ. आई.आर. कैसे लिखें आदि की जानकारी देना।
- 9 महिलाओं को उनकी क्षमता व योग्यता के अनुसार छोटे-छोटे लघु उद्योग स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित करना तथा संबंधित विभाग की जानकारी देना।
- 10 किचन गार्डन, अनाज बैंक जैसी उपयोगी जानकारी देना, योजनाएं बनाना।
- 11 एनीमिया, कुपोषण पर जागरूकता लाना व ऐसे प्रकरणों को ए.एन.एम को बताना।
- 12 प्रत्येक माह दो बार बैठक आयोजित कर अपने ग्राम की बच्चों, बालिकाओं, एवं महिलाओं से स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, स्वच्छता जैसे मुद्दों पर चर्चा करना।
- 13 बैठकों में ग्राम/व्यक्तिगत समस्या पर मिल बैठकर विचार विमर्श करना तथा समस्या को हल करने प्रयास करना।
- 14 ग्राम सभा बैठकों में सक्रिय भाग लेना।

- 15 वन स्टॉप सेंटर का भ्रमण व समन्वय करना।
- 16 ग्राम की शिशु मृत्यु, मातृ मृत्यु, प्रति वर्ष जन्म ले रही बालिका व बालक की संख्या, संस्थागत प्रसव, टीकाकरण समय पर पूर्ण हो इसकी निगरानी रखना।
- 17 ग्राम की प्रत्येक पात्र महिला व बालिका को शासन की योजनाओं के लाभ मिल रहे हैं या नहीं इसकी जानकारी रखना।
- 18 महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाए जाने वाले सभी अभियानों, कार्यक्रमों, सम्मेलनों में सहयोग करना।
- 19 लाडली लक्ष्मी योजना की सभी पात्र हितग्राहियों को स्कॉलरशीप मिले यह सुनिश्चित करना।
- 20 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम 2020 (पॉक्सो नियम 2020) के प्रावधानों का प्रचार-प्रसार करना।

उपलब्धि —

शौर्यादल का गठन प्रत्येक ग्राम/वार्ड स्तर पर प्रत्येक आंगनवाड़ी क्षेत्र में शौर्यादलों का गठन किया गया है, जिनमें कुल 22.52 लाख से अधिक सदस्य हैं। इनमें से किशोरी बालिका सदस्य 7.64 लाख हैं और एवं महिला सदस्य 14.78 लाख हैं।

गतिविधियां —

15 अगस्त 2023 स्वतंत्रता दिवस एवं 26 जनवरी 2024 गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय कार्यक्रमों में शौर्या दल सदस्यों की टुकड़ी के द्वारा परेड में प्रदर्शन किया गया। कई जिलों में शौर्या दलों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु मोमेन्टो एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है।



उदिता योजना

किशोरी बालिकाओं में माहवारी स्वास्थ्य स्वच्छता संबंधित व्यवहारों को बढ़ावा देने हेतु प्रदेश में 11 से 18 आयुवर्ग की किशोरी बालिकाओं एवं 19 से 45 आयुवर्ग की महिलाओं के लिये वर्ष 2015-2016 से प्रदेश में उदिता योजना चलाई जा रही है। माहवारी स्वास्थ्य तथा समुचित माहवारी प्रबंधन के बारे में जागरूकता तथा संवेदनशीलता बढ़ाने, अच्छी गुणवत्ता वाले सैनेटरी नैपकिन के प्रयोग व उसे व्यवहार में लाने के लिए प्रोत्साहित करने, ग्रामीण स्तर पर सैनेटरी नैपकिन की उपलब्धता एवं बालिकाओं तक इसकी पहुँच सुनिश्चित करने एवं किशोरियों में एनीमिया एवं पोषण संबंधी जागरूकता बढ़ाने हेतु उदिता योजना को लागू किया गया है।

उद्देश्य –

- किशोरी बालिकाओं एवं महिलाओं में माहवारी स्वच्छता तथा समुचित माहवारी प्रबंधन के बारे में जागरूकता तथा संवेदनशीलता पैदा करना।

- माहवारी चक्र के बारे में किशोरियों में जागरूकता बढ़ाना।
- विषय से जुड़े हुए प्रश्नों एवं भ्रांतियों का समाधान करना।
- किशोरियों को अच्छी गुणवत्ता वाले सैनेटरी नैपकिन के प्रयोग व उसे व्यवहार में लाने के लिए प्रोत्साहित करना।
- ग्रामीण स्तर पर सैनेटरी नैपकिन की उपलब्धता एवं किशोरी बालिकाओं एवं अन्य महिलाओं तक इसकी पहुँच सुनिश्चित करना।
- उपयोग में लाए गए सैनेटरी नैपकिन का पर्यावरण की दृष्टि से उचित एवं सुरक्षित ढंग से निपटान करने की सुविधा सुनिश्चित करना।
- किशोरियों में एनीमिया एवं पोषण संबंधी जागरूकता बढ़ाना।



उषा किरण योजना

“घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 एवं नियम 2006” के तहत राज्य सरकार द्वारा उषा किरण योजना संचालित की जा रही थी। जिसके अन्तर्गत शासन द्वारा घरेलू हिंसा के प्रकरण दर्ज किये जाने हेतु 453 संरक्षण अधिकारी (बाल विकास परियोजना अधिकारी / ब्लाक स्तरीय महिला सशक्तिकरण अधिकारी / वरिष्ठ पर्यवेक्षक एवं शासकीय महिला आश्रयगृह में पदस्थ राजपत्रित अधिकारी) नियुक्त किये गये हैं।

घरेलू हिंसा की पीड़िता के लिए सहायता योजना

मध्य प्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 03/347/06/2021/50-2, दिनांक 27 जनवरी, 2022 द्वारा योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है।

योजना में लक्षित लाभार्थी –

घरेलू हिंसा से पीड़ित मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी महिलाएं/बालिकाएं

क्षतिपूर्ति सहायता राशि एवं बजट प्रावधान –

पीड़िता को निम्नानुसार सहायता राशि दी जाएगी –

क्र.	क्षति का विवरण	सहायता राशि
1	शरीर के किसी भी अंग की स्थाई क्षति के परिणाम स्वरूप 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता	रुपये 2 लाख तक
2	शरीर के किसी भी अंग की स्थाई क्षति के परिणाम स्वरूप 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता	रुपये 4 लाख तक



जाबाली योजना

मध्यप्रदेश में वेश्यावृत्ति उन्मूलन हेतु वर्ष 1992 से जाबाली योजना संचालित है, जिसका मुख्य उद्देश्य वेश्यावृत्ति पर अंकुश लगाने की दृष्टि से महिलाओं तथा बच्चों के कल्याण एवं विकास की गतिविधियाँ संचालित करना है। जाबाली योजना का संचालन स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से किये जाने का प्रावधान है जिसके अन्तर्गत संस्थाओं को अनुदान प्रदान किया जाता है।

योजना अन्तर्गत निम्नानुसार गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं –

- 1 बच्चों की शिक्षा के लिये आश्रम शाला का संचालन
- 2 वेश्याओं के लिये आर्थिक कार्यक्रम
- 3 जनचेतना जागृत करने के लिये प्रचार-प्रसार
- 4 वेश्याओं के स्वास्थ्य परीक्षण तथा इलाज की व्यवस्था

प्रगति :-

क्र.	जिला	कुल आश्रम शाला	2023-2024 में लाभान्वित	
			बालक	बालिका
1	छतरपुर	01	23	23
2	सागर	02	50	45



मध्यप्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम

प्रदेश की महिलाओं समग्र सशक्तिकरण के लिये मध्यप्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम का गठन वर्ष 1988 में राज्य शासन द्वारा निम्न उद्देश्यों से किया गया था:—

- प्रदेश की महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण हेतु विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन करना
- महिलाओं/महिला स्व सहायता समूहों द्वारा उत्पादित सामग्रियों के लिए विपणन व्यवस्था उपलब्ध कराना
- महिलाओं का कौशल संवर्धन करना एवं तकनीकी तथा विपणन प्रशिक्षण प्रदान करना
- महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से जोड़ना
- महिलाओं को वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान करना

महिला वित्त विकास निगम के द्वारा कई योजनाओं का संचालन कर राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान स्थापित की हैं जिसमे स्वशक्ति एवं



तेजस्विनी प्रमुख योजनायें थी। निगम को उत्तम कार्य के लिए UN Award, सीता राम राव लाइवलीहुड अवार्ड, स्कॉच अवार्ड, आदि से नवाज़ा गया हैं। कार्यक्रम की हितग्राही श्रीमती रेखा पन्द्राम को कोदो एवं कुटकी से डिंडोरी के कृषको की जिन्दगी में आये आर्थिक बदलाव के अनुभव एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में किये गए कार्यों को साँझा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय न्यूयॉर्क में आमंत्रित किया गया।

योजनाएं/कार्यक्रम —

मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोष एवं मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना

- प्रदेश में ग्रामीण/शहरी आजीविका मिशन अंतर्गत गठित महिला स्व सहायता समूहों को आर्थिक गतिविधियों के लिए 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान
- शासन द्वारा वित्त पोषित योजनाओं यथा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना आदि अंतर्गत लाभान्वित महिला उद्यमियों को भी 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान
- विपणन कौशल उन्नयन कार्यक्रम — प्रदेश की महिला उद्यमियों द्वारा संचालित आर्थिक गतिविधियों एवं उद्योगों से निर्मित उत्पादों के विपणन एवं विपणन कौशल सम्बन्धी गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाना। इसके अंतर्गत सभी तरह के बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड लिंकेज जैसे संभाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करना, उत्पाद डिजाईन, विकास एवं मानकीकरण, क्षमता वर्धन, वितरण नेटवर्क, मार्केट प्रमोशन, प्रचार—प्रसार आदि गतिविधियों के लिए SRLM/ NULM/ MSME/ WCD/ अन्य विभाग के माध्यम से प्राप्त होने पर 2 प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाना हैं

- मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोष अंतर्गत मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना में वर्तमान तक राशि रुपये 410 लाख का व्यय किया गया है। 30,264 समूह एवं 1,412 महिला उद्यमियों को ऋण पर 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि से लाभान्वित किया जा कर राशि रुपये 392.48 लाख प्रदाय किये गए हैं। योजनावार विवरण निम्नानुसार हैं—

योजना	हितग्राही	ट्रान्सफर की गयी राशि
ग्रामीण आजीविका स्व-सहायता समूह	30264	3,66,96,636.15
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना	1068	22,67,251.00
डॉ भीम राव आंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना	112	29,518.00
भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना	92	1,30,937.00
संत रविदास स्वरोजगार योजना	66	1,09,508.00
टटया मामा आर्थिक कल्याण योजना	74	14,226.00
	31,676	3,92,48,076.15

स्व-सहायता समूह द्वारा निर्मित / उत्पादित सामग्री एवं हेरिटेज मदिरा की मार्केटिंग —

मध्यप्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना में निहित मार्केटिंग कंपोनेंट के क्रियान्वयन के लिए IIM इंदौर से MOU का निष्पादन किया गया है। प्रदेश के महिला स्व सहायता समूहों के उत्पादों एवं हेरिटेज मदिरा की मार्केटिंग सुनिश्चित करने के लिए विपणन एजेंसी के सूचीकरण हेतु IIM इंदौर के माध्यम से एजेंसी चयनित की जाने की कार्यवाही की जा रही है।

कन्जरवेशन ऑफ ट्रेडिशनल एग्रिकल्चर कार्यक्रम —

- डिण्डौरी जिले में कृषि एवं ऋषि पद्धति से कृषि 4,500 आदिवासी PVTG महिला कृषकों के साथ Conservation of Traditional Agriculture कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है।
- इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य महिलाओं की कृषि क्षमता का वर्धन करते हुए उत्पाद में बढ़ोतरी, जैविक खाद का पूर्णतः उपयोग, कृषि प्रसंस्करण, महिला फ्रेण्डली उपकरण का प्रदाय एवं उत्पादों का मार्केट लिंकेज उपलब्ध कराना आदि है।
- ICRISAT हैदराबाद द्वारा CTAP अंतर्गत संचालित गतिविधियों का फील्ड अध्ययन किया गया है और कार्यक्रम की सराहना की गयी है।



वर्षवार कोदो/कुटकी के उत्पादन की स्थिति –

विवरण	वर्ष (राशि लाख में)			
	2018—19	2019—20	2020—21	2021—22
कृषकों की संख्या	8100	10500	12700	17230
कुल क्षेत्र (हेक्टेयर)	4079	6023	8719	10530
कुल उत्पाद	24047	53069	93147	110566
कुल मूल्य (लाख में)	463.77	1225.26	2581.19	3596.21
Input लागत (प्रति हेक्टेयर)	8600	9450	10400	11440
Less Input Cost	350.79	569.17	906.78	1204.63
शुद्ध आय	112.98	656.09	1674.41	2391.58
शुद्ध आय प्रति कृषक (रु)	1394	6248	13184	13880

कार्यक्रम अंतर्गत संचालित इकाईयां –

इकाई	संख्या	कुल आर्डर क्विंटल में
कोदो कुटकी प्रोसेसिंग यूनिट	5	7754
कोदो बेकरी यूनिट	7	178.26 (आंगनवाडी में बच्चों को नाश्ते में प्रदाय)
नमकीन/बर्फी यूनिट	7	65.00 (आंगनवाडी में बच्चों को नाश्ते में प्रदाय)
THR यूनिट	2	307.00 (आंगनवाडी में प्रदाय)
पॉवरलूम	1	चादर व शर्ट पीस का विक्रय, जिला अस्पताल में चादर विक्रय, आंगवाडी कार्यकर्ता व सहायिका की ड्रेस निर्माण प्रारंभ किया जा रहा है।
गोंडी पेंटिंग	1	GI टेग प्राप्त, फेब्रिक पर पेंटिंग की जा कर दुपट्टे/कुर्ते/ टी शर्ट का विक्रय, नाबार्ड के सहयोग से प्रशिक्षण

निगम द्वारा तेजस्विनी महासंघों के माध्यम से संचालित विभिन्न इकाईयां

टेक होम राशन इकाई

जिला डिण्डोरी में तेजस्विनी संघ की महिलाओं के द्वारा टेक होम राशन इकाई का संचालन कर आंगनवाडी केन्द्रों के 8,192 बच्चों एवं 3,211 महिलाओं को THR सप्लाई किया जा रहा है।

कोदो कुटकी न्यूट्री बेकरी

जिला डिण्डोरी में कोदो-कुटकी न्यूट्री बेकरी का क्रियान्वयन कर आंगनवाडी केन्द्रों में 46,227 बच्चों व 3,211 महिलाओं को नाश्ते में पूरक पोषण आहार प्रदाय किया जाता है। 38,035 बच्चों को कोदो कुटकी नमकीन के वितरण का कार्य किया जा रहा है।

कोदो कुटकी प्रसंस्करण इकाई

डिण्डोरी जिले में कोदो-कुटकी प्रसंस्करण इकाई से के माध्यम से प्रति संघ को लगभग को रुपये 1.80 लाख की शुद्ध आय प्राप्त हो रही है।

कोदो न्यूट्री बर्फी

जिला डिण्डोरी तेजस्विनी महिला संघों के द्वारा बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से आंगनवाडी केन्द्रों में प्रतिमाह कोदो बर्फी/नमकिन सप्लाई की जा रही है। उक्त से प्रति संघ को लगभग रुपये 1.30 लाख का शुद्ध लाभ प्राप्त हो रहा है।



गौंडी पेन्टिंग (जिला डिण्डोरी)

ग्राम पाटनगढ़ में गौंडी पेन्टिंग का कार्य कागज पर परंपरागत रूप से किया जाता रहा है। निगम के द्वारा नवाचार के रूप में फेब्रिक पर गौंडी पेन्टिंग बनाएं जाने का सफल कार्य किया है। गौंडी पेन्टिंग के दुपट्टे जिलों व अन्य राज्यों में विक्रय किए जा रहें हैं। महिलाओं के द्वारा गौंडी पेन्टिंग के टी-शर्ट, कुर्ते, साड़ी, दुपट्टे, पर्दे, कुशन कव्हर, स्कार्फ आदि तैयार किए जा रहें हैं। गौंडी पेन्टिंग को GI टैग प्राप्त हुआ है।

पावर लूम

जिला डिण्डोरी के गोरखपुर तेजस्विनी संघ के द्वारा पावर लूम की स्थापना की गई है। लूम में तैयार वस्त्रों का विक्रय खुले बाजार में किया जा रहा है।

सेनेटरी नैपकिन

तेजस्विनी नारी विकास महिला संघ डिण्डोरी के द्वारा सेनेटरी नैपकिन यूनिट का संचालन किया जा रहा है। यूनिट में तैयार सेनेटरी नैपकिन आंगनवाडी केन्द्रों में उदिता कार्यक्रम के अंतर्गत सप्लाई की जा रही है एवं खुले बाजार में भी विक्रय किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश राज्य समाज कल्याण बोर्ड

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली की राज्य इकाई के रूप में मध्यप्रदेश राज्य समाज कल्याण बोर्ड, वर्ष 1956 से संचालित है। वर्ष 1986 से बोर्ड महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन कार्यरत है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण, विकास और सशक्तिकरण के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ रचनात्मक भागीदारी सुनिश्चित करना है। बोर्ड द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण हेतु स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से कार्यक्रम का संचालन किया जाता रहा है।

वित्त वर्ष 2022-2023 तक राज्य बोर्ड में कुल 28 परिवार परामर्श केन्द्र का संचालन स्वयंसेवी संगठनों द्वारा किया जाता रहा है। इन केन्द्रों में पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को परामर्श की सेवा प्रदान की जाती है। संचालक (CSWB) भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक CSWB-016/32/2021-CSWB (95239) दिनांक 04.09.2023 अनुसार प्रदेश में स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से संचालित परिवार परामर्श केन्द्रों को वनस्टॉप सेन्टर्स के साथ मैप किया गया है। अतः वित्त वर्ष 2023-2024 में परिवार परामर्श केन्द्रों का

संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग (वन स्टॉप सेंटर) के माध्यम से किया जाना है।

राज्य बोर्ड स्थापना, मुख्यालय पेंशन एवं अन्य मद पर व्यय होने वाली राशि 50-50 प्रतिशत के अनुपात में केन्द्रीय बोर्ड एवं राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही हैं। साथ ही राज्य बोर्ड से सम्बद्ध रही परियोजनाओं के प्रतिनियुक्ति पर राज्य शासन में पदस्थ कर्मचारियों की पेंशन एवं ग्रेज्युटी पर होने वाले व्यय का शत-प्रतिशत राज्य शासन द्वारा वहन किया जाता है।

भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है कि केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राज्य समाज कल्याण बोर्ड को कोई भी राशि प्रदाय नहीं की जावेगी।

वित्त वर्ष 2023-2024 में राज्य शासन द्वारा बोर्ड स्थापना, मुख्यालय पेंशन, परियोजना पेंशन एवं अन्य मद हेतु राशि रुपये 128.73 लाख का प्रावधान रखा गया है। जिसके विरुद्ध माह दिसम्बर 2023 तक राशि रुपये 77,50,615/-राज्य समाज कल्याण बोर्ड को प्राप्त हुई है।



मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राज्य महिला आयोग का प्रथम गठन, 23 मार्च 1998 को मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 (क्रमांक 20 सन् 1996) की धारा 3 की उपधारा (2) के तहत किया गया।

महिला सशक्तिकरण में आयोग के दायित्व –

- महिलाओं को सशक्त बनाने, महिलाओं के हितों की देखभाल व उनका संरक्षण करने, उनके प्रति भेदभाव मूलक व्यवस्था, स्थिति और प्रावधानों को समाप्त करने, उनकी गरिमा व सम्मान सुनिश्चित करने, हर क्षेत्र में विकास के समान अवसर दिलाने, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार अपराधों पर त्वरित कार्यवाही करने के लिये प्रदेश में राज्य महिला आयोग का गठन किया गया है।
- गरीब महिलाओं को कानूनी सलाह देने और ऐसी महिलाओं को विधिक सहायता प्रदान करने में समर्थ बनाने के लिये राज्य के गैर सरकारी संगठनों को सहायता करना प्रशिक्षित करना और प्रेरित करना।
- राज्य महिला आयोग महिलाओं के मित्र, शिक्षक, शुभचिंतक और संकल्पशील परामर्शदाता के रूप में कार्यरत है। यह आयोग एक निकाय है, जिसे सिविल अदालत के अधिकार प्राप्त हैं। इस आयोग को सतर्क जांचकर्ता, परीक्षणकर्ता और प्रेक्षक के अधिकार प्राप्त हैं।

आयोग इन मामलों में शिकायत प्राप्त करेगा –

- महिलाओं पर अत्याचार व महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के संबंध में।
- महिलाओं को सुरक्षा देने हेतु निर्धारित कानूनों के क्रियान्वयन न होने पर।
- अभित्यक्त, निराश्रित तथा वेश्यावृत्ति करने के लिये मजबूर की गई महिलाओं का पुनर्वास।
- बालिका भ्रूण हत्या।

आयोग को प्राप्त सिविल अदालत की शक्तियां –

- किसी व्यक्ति को सम्मन जारी किया जाकर उसे हाजिर कराना और शपथ पर उसका परीक्षण करना।
- किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना।
- शपथ-पत्रों पर साक्ष्य ग्राह्य करना।
- किसी भी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या प्रति की अध्यापेक्षा करना।
- साक्षियों व दस्तावेजों के परीक्षण के लिये कमीशन जारी करना।

प्रमुख कार्यक्षेत्र –

- वेश्यावृत्ति से जुड़ी महिलाओं और उनके बच्चों के लिये पुनर्वास संस्तुतियां।
- अस्पतालों, मानसिक चिकित्सा देखरेख गृहों, जेलों, रिमांड होम, संरक्षण गृहों का निरीक्षण
- महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक समर्थन।
- विशेषज्ञ समितियों का गठन।

कार्य निष्पादन, भ्रमण एवं निरीक्षण –

- विभिन्न जिलों में महिला संबंधी समस्याओं के अध्ययन के लिये मौके पर जाकर निरीक्षण/जाँच पड़ताल।
- प्रदेश की जेलों में महिला बंदियों की समस्याओं का अध्ययन।
- प्रदेश के अस्पतालों में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन और सुधार हेतु परामर्श एवं प्रकाशन।
- मानसिक देख-रेख गृहों में महिलाओं की स्थिति का निरीक्षण।
- विपदाग्रस्त महिलाओं की सहायता के लिये पहल।
- विभिन्न स्तर पर अधिकारियों से चर्चा, विचार-विमर्श।

वर्ष 2023-2024 में आयोग द्वारा आयोजित मुख्य गतिविधियां –

- आयोग द्वारा विभिन्न विभागों में गठित आंतरिक समिति के सदस्यों हेतु कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोषण) अधिनियम 2013 पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन दिनांक 28.06.2023 को भोपाल में किया गया। आयोग की सदस्य सचिव श्रीमती तृप्ति त्रिपाठी एवं मुख्य अतिथि तथा वक्ता नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉ.श्रीमती राका आर्य द्वारा अधिनियम की विस्तृत जानकारी प्रतिभागियों को प्रदान की गई। कार्यशाला में जिलास्तरीय आंतरिक समिति एवं स्थानीय आंतरिक समिति के पीठासीन अधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।
- विश्व समानता दिवस 26 अगस्त 2023 के अवसर पर भोपाल में मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग एवं भारतीय खेल प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोषण) अधिनियम 2013 विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। अधिनियम की मूलभूत जानकारी प्रतिभागियों को दी गई।
- म.प्र.राज्य महिला आयोग भोपाल के द्वारा कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अंतर्गत कार्यालयों में गठित आंतरिक पारिवारिक समिति के सदस्यों हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन इन्दौर में किया गया। आयोग की सदस्य सचिव श्रीमती तृप्ति त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सौम्य भौमिक द्वारा प्रतिभागियों को अधिनियम की जानकारी देकर उनकी शंकाओं का समाधान किया गया। कार्यशाला में विभिन्न शासकीय कार्यालयों में गठित आंतरिक परिवारिक समिति के पीठासीन अधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे।
- राष्ट्रीय बालिका दिवस दिनांक 24 जनवरी 2024 के अवसर पर “मानव तस्करी से संघर्ष : भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व” विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन आयोग कार्यालय भोपाल में किया गया। कार्यशाला में इन्टरनेशनल जस्टिस मिशन संस्था, संभागीय आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग, जन अभियान परिषद, आदिवासी वित्त विकास निगम, पिछड़ा वर्ग आयोग के अधिकारी एवं कर्मचारी सहित अन्य प्रतिभागी उपस्थित रहे।



मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग में पंजीबद्ध प्रकरणों की स्थिति
(अप्रैल 2023 से दिसंबर 2023 तक)

क्र.	विषय	पंजीबद्ध प्रकरण
1	घरेलू अत्याचार	317
2	दहेज प्रताड़ना/दहेज हत्या	343
3	बलात्कार/बलात्कार का प्रयास	139
4	अपहरण	110
5	हत्या	73
6	महिला प्रताड़ना	423
7	कार्यस्थल प्रताड़ना	282
8	साईबर अपराध	18
9	बालको के प्रति अपराध	12
10	विभागीय प्रकरण	66
11	अन्य	1004
	कुल	2787

अमृत दर्शन

नवीन नवीन

आंतरिक समिति के सदस्यों हेतु कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न पर कार्यशाला प्रकरण का निराकरण स्वयं को न्यायाधीश की भूमिका निभाते हुए निष्पक्ष जांच करनी चाहिए

कोटा, 11 दिसंबर। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के आंतरिक समिति के सदस्यों हेतु कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न पर कार्यशाला प्रकरण का निराकरण स्वयं को न्यायाधीश की भूमिका निभाते हुए निष्पक्ष जांच करनी चाहिए।



कोटा, 11 दिसंबर। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के आंतरिक समिति के सदस्यों हेतु कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न पर कार्यशाला प्रकरण का निराकरण स्वयं को न्यायाधीश की भूमिका निभाते हुए निष्पक्ष जांच करनी चाहिए।

कोटा, 11 दिसंबर। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के आंतरिक समिति के सदस्यों हेतु कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न पर कार्यशाला प्रकरण का निराकरण स्वयं को न्यायाधीश की भूमिका निभाते हुए निष्पक्ष जांच करनी चाहिए।

कोटा, 11 दिसंबर। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के आंतरिक समिति के सदस्यों हेतु कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न पर कार्यशाला प्रकरण का निराकरण स्वयं को न्यायाधीश की भूमिका निभाते हुए निष्पक्ष जांच करनी चाहिए।

कोटा, 11 दिसंबर। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के आंतरिक समिति के सदस्यों हेतु कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न पर कार्यशाला प्रकरण का निराकरण स्वयं को न्यायाधीश की भूमिका निभाते हुए निष्पक्ष जांच करनी चाहिए।

बालिका दिवस के अवसर पर एक दिवसीय कार्यशाला



जागरण सिटी रिपोर्टर। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बुधवार को मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग कार्यालय में मानव तस्करी पर इंटरनेशनल जस्टिस मिशन संस्था द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। संस्था के ओडिशा राज्य के प्रमुख अमित कुमार नायक द्वारा बताया गया कि मानव तस्करी गरीबी, बेरोजगारी जैसे कारणों के परिणाम स्वरूप समाज के समक्ष परिलक्षित होती है। मानव तस्करी के प्रमुख प्रकार यौन शोषण, बंधुवा मजदूरी हैं। वर्तमान में मानव तस्करी में इजाफा होने का सबसे बड़ा कारण सोशल मीडिया पर प्रलोभन देकर बालक बालिकाओं को भ्रमित कर उनका दुरुपयोग करना है। कार्यक्रम में संस्था के महेश मदाले, सुनेमिया नंदा सहित आयोग कार्यालय के समस्त अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।

सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 अन्तर्गत आंगनवाड़ी सेवाएँ

वर्तमान में प्रदेश के सभी 313 विकासखण्डों में कुल 453 समेकित बाल विकास परियोजनाएँ संचालित हैं। वर्ष 2023-24 में इन बाल विकास परियोजनाओं में कुल 84,465 आंगनवाड़ी केन्द्र एवं 12,670 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत एवं संचालित हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में वर्ष 2023-24 में "प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (PM-JANMAN) कार्यक्रम" अंतर्गत 194 अतिरिक्त, नवीन आंगनवाड़ी स्वीकृत किये गये हैं।

प्रदेश में स्वीकृत बाल विकास परियोजनाएँ, आंगनवाड़ी एवं मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र

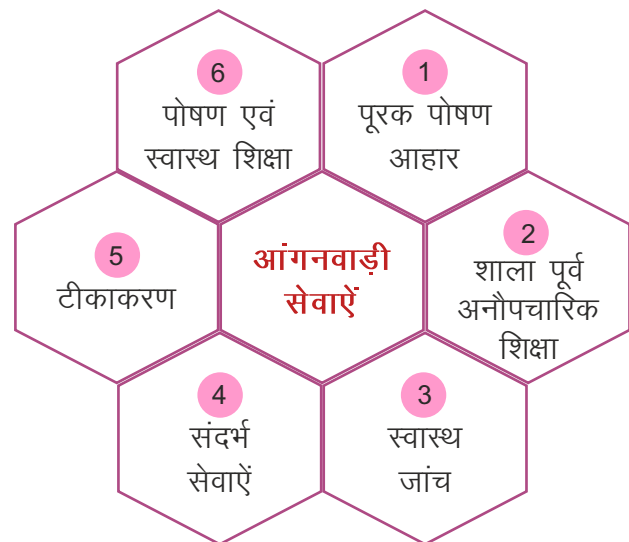
क्र.	विवरण	परियोजना	आंगनवाड़ी केन्द्र	मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र
1	ग्रामीण परियोजना	278	51558	8430
2	आदिवासी परियोजना	102	24004	4013
3	शहरी परियोजना	73	8903	227
4	PM-JANMAN कार्यक्रम	—	194	0
	कुल	453	84659	12670

आंगनवाड़ी सेवाएँ अंतर्गत हितग्राही

भारत सरकार द्वारा आंगनवाड़ी सेवाओं के हितग्राहीवार निगरानी हेतु पोषण ट्रैकर ऐप में प्रविष्टि को अनिवार्य किये जाने से प्रदेश में वर्ष 2023-2024 से हितग्राहियों का नामवार पंजीयन एवं सेवा प्रदाय हेतु आधार सत्यापन का कार्य प्रारम्भ किया गया है। पोषण ट्रैकर डैशबोर्ड अनुसार वर्ष 2023-2024 में कुल पंजीकृत हितग्राही संख्या 77.81 लाख है।



आंगनवाड़ी सेवाएँ



आंगनवाड़ी केन्द्रों के संचालन हेतु दैनिक समय सारणी

समय	गतिविधि
प्रातः 9:00 बजे	आंगनवाड़ी खोलना तथा बच्चों का आगमन, निर्मल समय— बच्चों की हाथों की साफ—सफाई का अवलोकन तथा साफ—सफाई।
9:30—10:00 बजे	सामूहिक गतिविधियों का आयोजन
10:00—10:30 बजे	नाश्ता
10:30—11:00 बजे	बच्चों द्वारा स्वतंत्र खेल
11:00—11:30 बजे	छोटे समूह की गतिविधियों का आयोजन
11:30—12:00 बजे	भाषा एवं साक्षरता पूर्व कौशल गतिविधियों का आयोजन
12:00—12:30 बजे	रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन
12:30—1:00 बजे	बाहरी खेल गतिविधियों का आयोजन
1:00—2:00 बजे	भोजन एवं बच्चों को उनके गंतव्य तक पहुंचाना
2:00—3:30 बजे	थर्ड मील— रोजाना पोषण परामर्श— नियत दिवस समुदाय आधारित गतिविधियां (मंगल दिवस)— नियत दिवस वृद्धि निगरानी— नियत दिवस प्रतिमाह किशोरी बालिका योजनान्तर्गत परामर्श— नियत दिवस गृहभेंट— नियत दिवस
3:30—4:00 बजे	रिकार्ड संधारण

नोट:— उपरोक्त समय सारणी सुझावात्मक है। मौसम एवं स्थानीय स्थिति अनुसार जिला कलेक्टर को आंगनवाड़ी केन्द्र संचालन के समय में परिवर्तन हेतु अधिकृत किया गया है।

किराये के भवनों में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए देय किराया

क्र.	परियोजना का प्रकार	आंगनवाड़ी केन्द्रों का मासिक किराया
1	ग्रामीण/आदिवासी	अधिकतम राशि रुपये 2000 /— प्रतिमाह प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र
2	शहरी	अधिकतम राशि रुपये 6000 /— प्रतिमाह प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र

अशासकीय संस्थाओं द्वारा संचालित समेकित बाल विकास परियोजना

क्र.	अशासकीय संस्थाओं द्वारा संचालित परियोजना	संस्था का नाम
1	समेकित बाल विकास परियोजना, गैरतगंज, जिला रायसेन	सेवा भारती, मध्यभारत, भोपाल



पोषण 2.0 (पोषण अभियान)

पोषण अभियान भारत सरकार एवं राज्य सरकार की वित्त पोषित महत्वाकांक्षी योजना है। भारत सरकार के नवीन निर्देशों के अनुसार अगस्त 2022 से पोषण अभियान का स्वरूप परिवर्तित कर पोषण 2.0 (पोषण अभियान) किया गया है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य मातृ पोषण, नवजात एवं शिशुओं का आहार एवं स्वास्थ्य, गंभीर एवं अति गंभीर शिशुओं की चिकित्सा एवं सम्पूर्ण स्वास्थ्य है। इनकी प्राप्ति हेतु अभिसरण, बेहतर प्रशासन, क्षमतावर्धन का उपयोग कर लाभ हितग्राहियों तक पहुंचाया जायेगा। केन्द्र प्रवर्तित इस योजना का संचालन प्रदेश के समस्त जिलों की 453 एकीकृत बाल विकास परियोजना अंतर्गत स्वीकृत समस्त आंगनवाड़ी / मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से किया जा रहा है।

महत्वपूर्ण गतिविधियां –

1. पोषण ट्रैकर – सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित प्रदेश की समस्त आंगनवाड़ी केन्द्रों द्वारा दी जा रही सेवाओं की वास्तविक समयबद्ध निगरानी हेतु मोबाईल ऐप्लिकेशन है। प्रदेश की समस्त आंगनवाड़ियों में स्मार्ट फोन तथा बच्चों एवं महिलाओं के स्वास्थ्य के स्तर को जाँचने के लिये वृद्धि निगरानी उपकरण उपलब्ध कराये गये। पोषण ट्रैकर एप के माध्यम से समस्त आंगनवाड़ी केन्द्रों के कॉडिनेट्स का सत्यापन किया जाकर LGD Mapping का कार्य पूर्ण किया गया। साथ ही 94.7% हितग्राहियों का भी आधार सत्यापन किया जा चुका है।

2. स्वस्थ बालक स्पर्धा – भारत सरकार के निर्देशानुसार समुदाय की स्वास्थ्य एवं पोषण विषयों पर भागीदारी एवं “सुपोषित भारत” के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक त्रैमास में “स्वस्थ बालक स्पर्धा” आयोजन किया जा रहा है।

इस स्पर्धा के माध्यम से अति गंभीर कुपोषित बच्चों का चिन्हांकन किया जाकर आवश्यक उपचार एवं स्वस्थ बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है।

3. पोषण माह एवं पोषण पखवाड़ा – पोषण पखवाड़ा का आयोजन माह अप्रैल 2023 में एवं पोषण माह का आयोजन माह सितम्बर 2023 किया गया। इस वर्ष की मुख्य थीम “सुपोषित भारत-साक्षर भारत-सशक्त भारत” पर आधारित थी जिसमें प्रदेश द्वारा 5 करोड़ से अधिक थीमवार गतिविधियों का आयोजन किया गया।

4. विकसित भारत संकल्प यात्रा – भारत सरकार के निर्देशानुसार दिनांक 16 दिसम्बर 2023 से 26 जनवरी 2024 तक विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। अब तक 34,293 गतिविधियों का आयोजन एवं 22,618 ऑन द स्पॉट नवीन हितग्राहियों को विभागीय योजनाओं से जोड़ा गया। (दिनांक 13.01.2024 की स्थिति में)

5. मिशन उत्कर्ष – भारत सरकार द्वारा मिशन उत्कर्ष राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राज्यों से 10 जिलों का चयन किया गया है जिसमें से प्रदेश के श्योपुर जिले को सम्मिलित किया गया है। भारत सरकार द्वारा की गई विगत समीक्षा में जिला-श्योपुर की प्रगति द्वितीय स्थान पर रही।

6. समुदाय आधारित गतिविधियां – सामुदायिक सहभागिता, हितग्राहियों के क्षमतावर्धन तथा व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया को मजबूती प्रदान करने के लिये प्रतिमाह आंगनवाड़ी केन्द्रों में सामुदाय आधारित गतिविधियां आयोजन किया जाता है। प्रदेश में माह के प्रत्येक मंगलवार को क्रमशः अन्नप्राशन दिवस, सुपोषण दिवस, गोदभराई, बाल चौपाल एवं लालिमा दिवस का आयोजन किया जाता है।



एडॉप्ट एन आंगनवाड़ी कार्यक्रम

महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा प्रदेश में 6 साल तक के बच्चों, किशोरी बालिकाओं, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं के लिए समेकित बाल विकास सेवा योजना का संचालन 97,135 आंगनवाड़ी केन्द्रों एवं मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से किया जा रहा है। यह आंगनवाड़ी केन्द्र प्रदेश के लगभग सभी गांवों में स्थित है। आंगनवाड़ी केन्द्रों में उपलब्ध सुविधाओं को और बेहतर बनाने के दृष्टिकोण से राज्य शासन के द्वारा एडॉप्ट एन आंगनवाड़ी कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

एडॉप्ट एन आंगनवाड़ी को तीन श्रेणियों 1. अधोसंरचना मूलक कार्य, 2. बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकता मूलक कार्य तथा 3. बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य में सहयोगकर्ताओं के माध्यम से सेवाओं को बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है।

उपलब्धि

- अब तक राशि रुपये 26.40 करोड़ का सहयोग प्राप्त हो चुका है। राशि रुपये 8.41 करोड़ नकद एवं चैक के माध्यम से प्राप्त हुए हैं।
- विभिन्न वर्गों के 1,13,642 सहयोगकर्ताओं द्वारा

नकद/सामग्री के रूप में सहयोग प्राप्त हुआ है। इसमें राशि रुपये 8.77 करोड़ का सहयोग बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं हेतु तथा 6.47 करोड़ का सहयोग अधोसंरचना मूलक कार्य हेतु प्राप्त हुआ है।

- 1573 केन्द्रों का आदर्श आंगनवाड़ी केन्द्र के रूप में उन्नयन किया गया है।
- 126 नवीन भवनों के निर्माण के साथ ही 1573 आंगनवाड़ी भवनों में मरम्मत कार्य, 3304 भवनों में रंगाई-पुताई के कार्य, 258 आंगनवाड़ी भवनों में बाउंड्रीवाल निर्माण किया गया है।
- 1301 आंगनवाड़ी केन्द्रों में ऑउटडोर खेल सामग्री जैसे झूला-चकरी, फिसल पट्टी की व्यवस्था की गई है।
- 4133 आंगनवाड़ी भवनों में स्थाई प्रकृति के फर्नीचर, 4966 आंगनवाड़ी केन्द्रों में आधारभूत सुविधा का विकास भी किया गया है।
- स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं में राशि रुपये 92.47 लाख का सहयोग प्राप्त हुआ है।
- 95,752 चिन्हित केन्द्रों में जन-सहयोग से कार्य किया गया है।



पोषण आहार

भारत सरकार के निर्धारित मापदण्ड अनुसार प्रदेश के आंगनवाड़ी केन्द्रों में 06 माह से 06 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती, धात्री माताओं, अति गंभीर कुपोषित (SAM) बच्चों तथा 08 आकांक्षी जिलों में 14-18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को प्रदाय पूरक पोषण आहार हेतु प्रति हितग्राही प्रतिदिन निर्धारित कैलोरी एवं प्रोटीन तथा दर निम्नानुसार प्रावधान है :-

हितग्राही	निर्धारित दर	निर्धारित प्रोटीन की मात्रा (ग्राम में)	निर्धारित कैलोरी की मात्रा (कैलोरी में)
06 माह से 06 वर्ष तक के बच्चे	रुपये 8.00 प्रति बच्चा प्रतिदिन	12-15	500
गंभीर कुपोषित बच्चे (SAM)	रुपये 12.00 प्रति बच्चा प्रतिदिन	20-25	800
गर्भवती, धात्री माता	रु. 9.50 प्रति हितग्राही प्रतिदिन	18-20	600
किशोरी बालिका (14-18 वर्ष आयुवर्ग)	रुपये 9.50 प्रति हितग्राही प्रतिदिन	18-20	600

(1) 06 माह से 03 वर्ष के बच्चों एवं गर्भवती तथा धात्री माताओं को म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका फोरम अंतर्गत गठित महिला स्व सहायता समूहों के परिसंघों द्वारा देवास, धार, सागर, नर्मदापुरम, मण्डला, रीवा एवं शिवपुरी के संयंत्रों द्वारा टेकहोम राशन प्रदाय किया जा रहा है। संयंत्रों के माध्यम से निम्नानुसार टेकहोम राशन प्रदाय अलग-अलग दिवसों में दिया जा रहा है :-

क्र.	खाद्यान्न का नाम	हितग्राही	प्रति हितग्राही प्रतिदिन की मात्रा (ग्राम में)	प्रोटीन प्रति दिन प्रति हितग्राही (ग्राम में)	प्रति दिन प्रति हितग्राही कैलोरी
1	गेहूं सोया बर्फी (प्री-मिक्स)	गर्भवती/धात्री माताएं	150	25	653
2	आटा बेसन लड्डू (प्री-मिक्स)	गर्भवती/धात्री माताएं	150	26	654
3	खिचड़ी	गर्भवती/धात्री माताएं	150	27.5	665
4	हलुआ (प्री-मिक्स)	06 माह से 03 वर्ष तक के बच्चे	120	20	525
5	बाल आहार (प्री-मिक्स)	06 माह से 03 वर्ष तक के बच्चे	120	19.6	527
6	खिचड़ी	06 माह से 03 वर्ष तक के बच्चे	125	23	554
7	गेहूं सोया बर्फी (प्री-मिक्स)	किशोरी बालिका (14 से 18 आयु वर्ग)	150	25	653
8	खिचड़ी	किशोरी बालिका (14 से 18 आयु वर्ग)	150	27.5	665

डिण्डौरी जिले की 02 बाल विकास परियोजनाओं करंजिया एवं मेहंदवानी में मोटे अनाज आधारित टेकहोम राशन "तेजस्विनी स्वसहायता समूहों" द्वारा प्रदाय किया जा रहा है। समय-समय पर उत्पादन प्रभावित होने की स्थिति में इन परियोजनाओं में मंडला स्थित म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका फोरम के संयंत्र द्वारा टेकहोम राशन प्रदाय किया जाता है।

(2) ग्रामीण क्षेत्र की बाल परियोजनाओं में 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चों को सांझा चूल्हा के माध्यम से सुबह का नाश्ता एवं दोपहर का भोजन पृथक-पृथक निम्न मीनू के अनुसार पूरक पोषण आहार के रूप में दिये जाने का प्रावधान रखा गया है :-

सांझा चूल्हा व्यवस्था अंतर्गत 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चों को प्रदाय किए जा रहे पूरक पोषण में विविधता के लिए साप्ताहिक सांकेतिक मेनू

दिन	सुबह का नाश्ता (रैसिपी)	दोपहर का भोजन (रैसिपी)	प्रोटीन (ग्राम)	कैलोरी (ग्राम)
सोमवार	मीठी लाप्सी	रोटी-सब्जी-दाल	12-15	500
मंगलवार	पौष्टिक खिचड़ी	खीर-पुड़ी-आलू मटर / आलू चने की सब्जी		
बुधवार	मीठी लाप्सी	रोटी-सब्जी-दाल		
गुरुवार	नमकीन दलिया	वेज पुलाव-पकोड़े वाली कढ़ी		
शुक्रवार	उपमा	रोटी-सब्जी-दाल		
शनिवार	मीठी लाप्सी	रोटी-सब्जी-दाल / चावल सांभर		



प्रदेश के शहरी क्षेत्र में संचालित समस्त आंगनवाड़ी केन्द्रों / उप आंगनवाड़ी केन्द्रों के 03 से 06 वर्ष तक के बच्चों को पूरक पोषण आहार का प्रदाय स्व सहायता समूह / महिला मण्डल के माध्यम से किए जाने का प्रावधान था। राज्य शासन द्वारा उक्त व्यवस्था में माह मई 2021 से परिवर्तन कर आंगनवाड़ी केन्द्रों / उप आंगनवाड़ी केन्द्रों के 03 से 06 वर्ष तक के बच्चों को ताजे पके हुए पूरक पोषण आहार की व्यवस्था राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, राज्य शहरी आजीविका मिशन के पंजीकृत महिला स्व सहायता समूह एवं तेजस्विनी महिला स्वसहायता समूह के माध्यम से की गई है।

शहरी क्षेत्र की बाल विकास परियोजनाओं में 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चों को सांझा चूल्हा कार्यक्रम के अनुरूप ही पोषण आहार दिया जा रहा है।

(3) 06 माह से 06 वर्ष तक के आंगनवाड़ी केन्द्र में दर्ज अति गंभीर कुपोषित (SAM) बच्चों को थर्ड मील के रूप में सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को दोपहर के भोजन के मीनू अनुसार तथा मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार को नाश्ता के मीनू अनुसार दिये जाने का प्रावधान है।

प्रदेश में मोटे अनाज के उपयोग को बढ़ावा –

प्रदेश में डिंडौरी जिले के सभी परियोजना क्षेत्र तथा मंडला जिले की मोहगांव परियोजना क्षेत्र में 03 से 06 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को सुबह के नाश्ते में मोटे अनाज से तैयार रेडी-टू-ईट पूरक पोषण आहार प्रदाय किया जा रहा है।

पूरक पोषण आहार अंतर्गत बजट प्रावधान –

आंगनवाड़ी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार की व्यवस्था हेतु व्यय की जाने वाली राशि से 50 प्रतिशत की राशि भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। शेष 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।

टेकहोम राशन की मॉनिटरिंग –

टेक होम राशन की मॉनिटरिंग हेतु विभागीय एम.आई.एस में एक मॉड्यूल तैयार किया गया है, जिसमें संयंत्रों को टेकहोम राशन उत्पादन उपरांत परियोजनाओं के परिवहन पूर्व बैच वार जानकारी प्रविष्टि की जाती है। जिसके क्रम में परियोजनावार स्तर पर प्राप्ति तथा आंगनवाड़ी स्तर तक परिवहन के दिनांकवार मात्रा की जानकारी संधारित की जाती है। इसी के आधार पर जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा देयक प्रमाणित किये जाते हैं।



शालापूर्व अनौपचारिक शिक्षा

‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप 03 से 06 वर्ष के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शाला पूर्व शिक्षा प्रदाय करने के उद्देश्य से स्कूल शिक्षा विभाग के साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ईसीसीई प्रशिक्षण प्रदाय किये जा रहे हैं। प्रशिक्षण के प्रथम चरण में शाला परिसर में लगने वाले 19352 आंगनवाड़ी केंद्रों में पदस्थ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किये जाने की कार्यवाही स्कूल शिक्षा विभाग के समन्वय से की गयी। शाला परिसर में संचालित इन आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों को आयु अनुरूप गतिविधि पुस्तिकाएं एवं आंगनवाड़ी

कार्यकर्ताओं के लिए शिक्षण मार्गदर्शिका प्रदाय की गयी हैं। प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं को भारत सरकार के दीक्षा पोर्टल पर 06 ऑनलाइन कोर्सेस के माध्यम से भी प्रशिक्षित किया जा रहा है।”

खिलौनों के लिये राष्ट्रीय कार्ययोजना एवं “पोषण भी पढाई भी” के अंतर्गत शाला पूर्व शिक्षा गतिविधि हेतु देशज खिलौनों को बढ़ावा देने के लिए मैदानी अमले के साथ कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इन कार्यशालाओं में “डू इट योअर सेल्फ” खिलौनों की किट्स को तैयार एवं उपयोग करना बताया गया।



निर्माण

निर्माण अन्तर्गत आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण, परियोजना कार्यालयों का भवन निर्माण, विभागीय भवनों का मरम्मत-रखरखाव कार्य, आंगनवाड़ी भवनों में विद्युत व्यवस्था, विद्युत देयको का भुगतान, आंगनवाड़ी भवनों में रंगाई-पुताई आदि कार्यों को संपादित किया जाता है।

प्रदेश में कुल 97,135 आंगनवाड़ी/मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं, जिनमें से 84,465 आंगनवाड़ी केन्द्र एवं 12,670 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र हैं। 51,005 आंगनवाड़ी केन्द्र विभागीय भवनों में 21,696 अन्य शासकीय भवनों में, 24,434 आंगनवाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में संचालित हैं। वर्तमान में आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण कार्य राज्य आयोजना मद अन्तर्गत मनरेगा के अभिसरण से ग्रामीण यांत्रिकी सेवा से प्राप्त नवीन प्राक्कलन अनुसार अधिकतम राशि रुपये 11.22 लाख के मान से कराया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2023-2024 में प्रदेश के 08 आकांक्षी जिलों

के 2,220 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों में उन्नत किया जा रहा है। इस हेतु आंगनवाड़ी केन्द्रों में पोषण वाटिका, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, आर.ओ. मशीन, एल.ई.डी. स्क्रीन, ईसीसीई गतिविधियां एवं अधोःसंरचनात्मक मरम्मत कार्य भारत सरकार से प्राप्त राशि से किया जा रहा है।

वित्तीय 2023-2024 में प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (PM-JANMAN) कार्यक्रम के तहत विशेष जन जातीय क्षेत्रों की 217 आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण भारत सरकार से प्राप्त राशि से किया जा रहा है।

आंगनवाड़ी भवनों में विद्युत कनेक्शन हेतु वित्तीय वर्ष 2022-2023 में माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर पहली बार बजट में प्रावधान किया गया है। वर्ष 2022-2023 एवं 2023-2024 में कुल 31,425 आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए इस कार्य हेतु कुल राशि रुपये 99.92 करोड़ जारी किये गये।



प्रशिक्षण

समेकित बाल विकास सेवा योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिये सहायक संचालकों, परियोजना अधिकारियों, पर्यवेक्षकों एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को समय-समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है।

- विभाग में नवनियुक्त सहायक संचालकों एवं परियोजना अधिकारियों को आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल में आधारभूत प्रशिक्षण (07 सप्ताह) प्रदान किया जाता है एवं आंगनवाड़ी सेवाओं के लिये बाल विकास परियोजना अधिकारियों को जॉब प्रशिक्षण (32 दिवस) राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड) नई दिल्ली एवं इंदौर में कराया जाता है।
- इसी प्रकार नव-नियुक्त पर्यवेक्षकों एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सर्वप्रथम 8 दिवस का इंडक्शन प्रशिक्षण दिया जाता है। तत्पश्चात पर्यवेक्षकों को 32 दिवस का मूलभूत प्रशिक्षण मध्यस्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र (Middle Level Training Center) में तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 32 दिवस का एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 8 दिवस का मूलभूत प्रशिक्षण आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र (Anganwadi Worker Training Center) में दिया जाता है। इसके अलावा पर्यवेक्षकों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 7 दिवसीय एवं

सहायिकाओं को 5 दिवसीय प्रत्यास्मरण प्रशिक्षण 02 वर्ष बाद दिये जाने का प्रावधान है।

उद्देश्य –

आई.सी.डी.एस. अमले के ज्ञान, कौशल और दक्षता में सतत संवर्धन करना।

विभाग के प्रत्येक स्तर के कार्यकर्ता को सकारात्मक दृष्टिकोण से कार्य करने हेतु तैयार करना एवं उनको सेवाओं के प्रति संवेदनशील बनाना।

विभागीय प्रशिक्षण संस्थान –

पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण के लिये विभाग में 1 अशासकीय मध्यस्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र (Middle Level Training Center) जबलपुर में है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिकाओं के प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक संभाग में एक, इस तरह कुल 10 शासकीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र (Anganwadi Worker Training Center) है।

प्रगति –

इस वर्ष माह दिसम्बर तक विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा निम्नानुसार कुल 30 प्रशिक्षण कार्यक्रम कराये गये हैं।

क्र.	प्रशिक्षण संस्थान	आयोजित प्रशिक्षण	प्रतिभागी
1	निपसिड दिल्ली (Online)	07	65
	निपसिड दिल्ली (Offline)	03	25
2	निपसिड इंदौर (Online)	13	195
	निपसिड इंदौर (Offline)	06	52

उक्त प्रशिक्षणों में कुल 366 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें प्रदेश के जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी/पर्यवेक्षकों एवं अन्य शामिल थे।

मिशन वात्सल्य

उद्देश्य —

देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक एवं विधि विवादित बालकों के समग्र विकास, पुनर्वास एवं उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु प्रदेश में मिशन वात्सल्य का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजनांतर्गत संस्थानिक सेवायें (विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण, बालगृह, आश्रय गृह, सम्प्रेक्षण गृह, विशेष गृह) एवं गैर संस्थानिक सेवायें (दत्तक ग्रहण, फॉस्टर केयर, स्पॉन्सरशिप, आफ्टर केयर) के माध्यम से देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक एवं विधि विवादित बालकों को लाभान्वित किया जा रहा है। देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक एवं विधि विवादित बालकों के प्रकरण पर कार्यवाही हेतु प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड के गठन का प्रावधान है। यह “बाल अधिकार संरक्षण” और “सर्वोत्तम बाल हित” के दिशा निर्देशक सिद्धांतों पर आधारित है। इस प्रकार मिशन वात्सल्य का उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों का समग्र कल्याण एवं सुभेद्यता में कमी लाना है।

लक्ष्य —

- देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता हेतु अनिवार्य सेवाओं को संस्थागत बनाना और संरचनाओं का सुदृढीकरण।
- किशोर न्याय अधिनियम का क्रियान्वयन।
- अधिकारियों एवं कर्मचारियों की क्षमता वृद्धि।
- बाल संरक्षण सेवाओं के लिए डेटाबेस का सृजन करना।
- परिवार एवं समुदाय स्तर पर बाल संरक्षण का सुदृढीकरण।
- समस्त हितधारकों से समन्वय सुनिश्चित करना।
- सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना।
- विषम परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों को बाल अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में संचालित अन्य बाल कल्याण योजनाओं को एक छत के नीचे संचालित करना।

- संचालित कार्यक्रमों की साक्ष्य आधारित निगरानी और मूल्यांकन।

देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालक की परिभाषा —

- ऐसे बालक जिसके बारे में पाया जाता है कि उसका कोई घर या निश्चित निवास स्थान और जीवन निर्वाह के दृश्यमान साधन नहीं हैं।
- जो अनाथ, बेसहारा, अभ्यर्पित एवं निराश्रित हैं।
- ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता उनका पालन-पोषण करने में सक्षम नहीं हैं।
- परित्यक्त, गुमशुदा एवं घर से भागे हुए बच्चे।
- विपत्तिग्रस्त अथवा कठिन परिस्थिति में रह रहे बच्चे।
- हिंसा, शोषण एवं दुर्व्यवहार से बचाये हुए बच्चे।
- मानसिक एवं शारीरिक रूप से मंदित या बीमार बच्चे।
- एड्स पीड़ित बच्चे अथवा संक्रमित परिवार के बच्चे।
- मानव तस्करी से मुक्त करवाये गये बच्चे।
- भिक्षावृत्ति में लिप्त, सड़क पर निवासरत एवं सड़क पर कचरा बीनने वाले बच्चे।
- जेल में निरुद्ध माता-पिता के बच्चे इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।

संस्थागत सेवाएं —

प्रदेश में अनाथ, बेसहारा एवं देखरेख तथा संरक्षण वाले बालकों के भरण पोषण, शिक्षा, चिकित्सा एवं पुनर्वास हेतु 128 शासकीय/अशासकीय शिशुगृह, बालगृह, आश्रयगृह, खुला आश्रय गृह, सम्प्रेक्षण गृह, विशेष गृह एवं पश्चात्तर्वर्ती गृह पंजीकृत होकर संचालित हैं। इन संस्थाओं में बाल कल्याण समिति के आदेश से बच्चों को स्थाई एवं अस्थायी संरक्षण प्रदान किया जाता है। प्रदेश में वर्तमान में संचालित संस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

- **शिशुगृह** — 0 से 6 वर्ष के बालकों के संरक्षण देखरेख तथा पारिवारिक पुनर्वास हेतु प्रदेश में 35 शिशु गृह संचालित हैं। इनमें निवासरत बच्चों की संख्या 190 है।
- **बालगृह** — 6 से 18 वर्ष की आयु के देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बालकों को संरक्षण भरण पोषण, चिकित्सा, शिक्षण, प्रशिक्षण की सुविधाओं के अतिरिक्त पारिवारिक एवं व्यवसायिक पुनर्वास कर समाज की मुख्यधारा में सम्मिलित करने संबंधी कार्यवाही की जाती है। प्रदेश में 59 बालगृह संचालित हैं। इन गृहों में निवासरत बच्चों की संख्या 1,896 है।
- **खुला आश्रय गृह** — 18 वर्ष तक की आयु के बेघर, फुटपाथ पर घूमने वाले, सड़क पर रहने वाले, बाल भिक्षुकों को आश्रय दिया जाकर शिक्षण प्रशिक्षण, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श के द्वारा जीवन कौशल, व्यक्तित्व विकास, आत्म-सम्मानवर्धन, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित किया जाता है। प्रदेश में 11 खुला आश्रयगृह संचालित हैं, जिनमें निवासरत बच्चों की संख्या 502 है।
- **संप्रेक्षण गृह** — विधि का उल्लंघन करने वाले 18 वर्ष तक की आयु से कम आयु के किशोरों को जमानत न होने तक तथा किशोर न्याय बोर्ड में प्रकरण के विचारण तक संरक्षण, भरण-पोषण, चिकित्सीय परीक्षण, उपचार, शिक्षण प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती हैं। प्रदेश में 18 संप्रेक्षण गृह संचालित हैं, जिनमें निवासरत बच्चों की संख्या 254 है।
- **विशेष गृह** — किशोर न्याय बोर्ड के आदेशानुसार दोष सिद्ध होने पर सुधार हेतु किशोरों को संरक्षण, भरण-पोषण, चिकित्सीय परीक्षण, उपचार, शिक्षण प्रशिक्षण एवं पुनर्वास की सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती हैं, ताकि उनका समाज में व्यस्थापन संभव हो सके। प्रदेश में 03 विशेषगृह संचालित हैं, जिनमें निवासरत बच्चों की संख्या 102 है।
- **पश्चातवर्ती गृह** — विशेष गृहों एवं बालगृहों से 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरांत निर्मुक्त हुये बालक/बालिकाओं को 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक भरण पोषण, शिक्षण, प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती है तथा इन किशोर/किशोरियों का सामाजिक एवं

व्यवसायिक पुनर्वास किया जाता है। प्रदेश में 02 पश्चातवर्ती गृह संचालित हैं, जिनमें निवासरत बच्चों की संख्या 21 है।

गैर संस्थागत सेवाएं —

बालकों को उनके परिवारों में भरण पोषण शिक्षा एवं चिकित्सीय सेवा उपलब्ध कराने एवं स्थाई परिवार उपलब्ध कराने हेतु गैर संस्थागत सेवाएं प्रदान की जाती है। गैर संस्थागत सेवाएं निम्नानुसार हैं :—

- **दत्तक ग्रहण** — प्रदेश में वर्तमान में 35 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण संचालित हैं। इन दत्तक ग्रहण अभिकरणों में निवास कर रहे बच्चों को केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा निर्मित पोर्टल के माध्यम से दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 के प्रावधानानुसार दत्तक दिया जाता है। दत्तक ग्रहण के अंतिम आदेश कलेक्टर द्वारा जारी होते हैं। वर्ष 2023-2024 में 149 बच्चों को दत्तक दिया गया।
- **पालन पोषण देखरेख (फोस्टर केयर)** — पालन पोषण देखरेख, एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें बालकों को घर जैसे पारिवारिक माहौल में वैकल्पिक देखभाल के उद्देश्य से, असंबंधित परिवारों के सदस्यों के साथ देखभाल और संरक्षण हेतु आवश्यकताओं के अनुसार रखा जाता है। बच्चे को पालन पोषण देखरेख में रखते समय ऐसे परिवार को प्राथमिकता दी जाती है, जो बच्चे के सामाजिक, सांस्कृतिक, जातिगत या समुदाय/गोत्र से संबंध रखते हैं। इसमें बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत मामलों के मूल्यांकन के आधार पर पालन पोषण देखरेख की जिम्मेदारी दी जाती है। पालन पोषण देखरेख बच्चों की जरूरतों के आधार पर अल्पकालिक अथवा दीर्घ कालिक हो सकता है। सामूहिक पालन पोषण देखरेख का उद्देश्य बच्चे को व्यक्तिगत देखभाल एवं समुदाय आधारित तथा पारिवारिक वातावरण एवं पालन-पोषण प्रदान करना है।

पालन पोषण देखरेख के लिये पात्र बच्चों की श्रेणियां : बच्चों की निम्नलिखित श्रेणियों को पालन पोषण देखरेख हेतु योग्य माना जायेगा :—

- 0-6 आयु वर्ग के बाल देखरेख संस्थाओं में रहने

वाले बच्चों को सामान्यतः दीर्घकालिक पालन पोषण देखरेख के अंतर्गत रखने पर विचार नहीं किया जायेगा। इस आयु वर्ग के बच्चों को दत्तक ग्रहण के तहत स्थाई परिवार उपलब्ध कराने की कोशिश की जाती है।

- 6-18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे जो कि बाल देखरेख संस्थाओं (Child Care Institution) में रह रहे हैं, उन्हें बाल देखरेख संस्थाओं में विकसित व्यक्तिगत देखरेख योजना (ICP) के आधार पर पालन पोषण देखरेख में रखा जाता है।
- ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता गंभीर रूप से बीमार हैं और जिन्होंने अपने बच्चे की देखरेख करने में असमर्थ होने के कारण अपने बच्चे की देखरेख के लिए बाल कल्याण समिति या जिला बाल संरक्षण इकाई को अनुरोध प्रस्तुत किया है, ऐसे बच्चों को प्राथमिकता से पालक देखरेख (फोस्टर केयर) में रखा जा सकता है।

वर्ष 2023-2024 में 126 बच्चों को पालन पोषण देखरेख में दिया गया, जिन्हें रुपये 4,000/- प्रति माह आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।

- **प्रायोजन कार्यक्रम (स्पॉन्सरशिप)** – बच्चों के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से प्रायोजन कार्यक्रम (स्पॉन्सरशिप) के अंतर्गत उनकी चिकित्सा, पोषण, शिक्षा एवं विकास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बच्चे के परिवार/बाल देखरेख संस्थाओं में निवासरत बालक को अनुपूरक सहायता या वित्तीय या अन्य माध्यमों से सहायता उपलब्ध कराई जाती है। निजी स्पॉन्सरशिप के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति, फर्म, संस्थान द्वारा किसी भी पात्र बच्चे को स्पॉन्सर किया जा सकता है और संस्था की आधारभूत संरचना हेतु भी सहयोग किया जा सकता है। किसी कंपनी अथवा औद्योगिक इकाई द्वारा सी एस आर के अंतर्गत भी सहयोग किया जा सकता है।

वर्ष 2023-2024 में 9,776 बच्चों को शासकीय स्पॉन्सरशिप का लाभ दिया गया, जिन्हें रुपये 4,000/- प्रति माह आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।

- **पश्चातवर्ती देखरेख** – बाल देखरेख संस्थाओं में निवासरत ऐसे बालक जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं एवं जिनकी देखरेख करने वाले कोई नहीं है, उन्हें पश्चातवर्ती कार्यक्रम के अंतर्गत 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक पश्चातवर्ती गृह में रखने की व्यवस्था है। पश्चातवर्ती कार्यक्रम अंतर्गत प्रदेश में भोपाल जिले में बालिकाओं हेतु एवं जबलपुर में बालकों हेतु पश्चातवर्ती गृह (After Care Homes) संचालित हैं।
- **मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना** – कोविड-19 के दौरान 01 मार्च 2021 से 30 जून 2021 की अवधि में अनाथ हुये बच्चों को प्रति माह आर्थिक सहायता, खाद्यान्न सुरक्षा एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना संचालित है। योजनांतर्गत प्रत्येक हितग्राही को राशि रुपये 5,000/- प्रतिमाह की आर्थिक सहायता राशि 21 वर्ष की आयु तक अथवा स्नातक में अध्ययनरत होने की स्थिति में 24 वर्ष तक या स्नातक पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो, प्रदाय की जाती है। योजना अंतर्गत समस्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अथवा निर्धारित सीमा तक शुल्क का वहन राज्य शासन द्वारा किया जाता है। योजनांतर्गत सभी बच्चों/संरक्षकों को खाद्यान्न पर्याप्त जारी की जाती है। योजनांतर्गत 1,435 बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है।
- **मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना** – बाल देखरेख संस्थाओं को छोड़ने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के बालकों (आफ्टरकेयर) को आर्थिक एवं शैक्षणिक सहयोग देकर समाज में पुनर्स्थापित करने एवं 18 वर्ष की आयु तक के अनाथ बच्चों, जो अपने सम्बंधियों अथवा संरक्षकों के साथ जीवन यापन कर रहे हैं, को आर्थिक सहायता (स्पॉन्सरशिप) उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना संचालित है। स्पॉन्सरशिप के तहत पात्र पाये गये प्रत्येक बच्चे को राशि रुपये 4,000/- प्रतिमाह की सहायता राशि दी जाती है तथा आफ्टर केयर अंतर्गत हितग्राहियों को राशि रुपये 5,000/- प्रति माह सहायता राशि दी जाती है। योजनांतर्गत अब तक स्पॉन्सरशिप के तहत 5,624 बच्चों के तथा आफ्टर केयर अंतर्गत 60 बच्चों के प्रकरण स्वीकृत किये गए हैं।

- पी एम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना** – कोविड के कारण 11 मार्च 2020 से 05 मई 2023 तक माता-पिता/दत्तक माता-पिता/वैध अभिभावक/एकल माता या पिता (जिनमें से किसी एक की मृत्यु पूर्व में हो चुकी है) की मृत्यु होने से, अनाथ हुए बच्चों की सहायता हेतु योजना प्रारंभ की गयी। योजनांतर्गत बच्चे को शैक्षणिक सहायता के अतिरिक्त बच्चे के 23 वर्ष का होने पर राशि रुपये 10 लाख प्रदान किए जाने का प्रावधान है। बच्चे को 'आयुष्मान भारत' के अंतर्गत रुपये 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया है। हितग्राहियों को प्रति माह राशि रुपये 4,000/- स्पॉन्सरशिप के अंतर्गत भी प्रदान किये जाते हैं, साथ ही, कक्षा 01 से 12 तक अध्यनरत हितग्राहियों को राशि रुपये 20,000/- वार्षिक छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है। योजनांतर्गत 433 बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है।
- बाल मित्र ग्राम** – महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के तकनीकी सहयोग से 11 जिलों (विदिशा, इन्दौर, होशंगाबाद, शिवपुरी, मुरैना, रतलाम, निवाडी, शहडोल, सतना, जबलपुर एवं कटनी) में बाल मित्र ग्राम स्थापित किये गए हैं। बाल मित्र ग्राम के मुख्य उद्देश्य बाल श्रम, बाल विवाह, बाल शोषण और दुर्व्यवहार पर सम्पूर्ण रोक और सभी बच्चों का स्कूल में नामांकन एवं उपस्थिति सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम के अंतर्गत बाल पंचायत का गठन किया जाता है, जो स्वयं के संरक्षण, स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दे पर सक्रियता के साथ काम करती है। यह कार्यक्रम ग्राम पंचायत, शौर्या दल, ग्राम बाल संरक्षण समिति और स्कूल प्रबंधन समिति के सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है।



पालना योजना

भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मिशन शक्ति गार्ड लाईन के अनुसार उप योजना सामर्थ्य के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-2024 से राष्ट्रीय झूलाघर योजना का नाम परिवर्तित कर पालना योजना किया गया है। पालना केन्द्र प्रवर्तित योजना है।

उद्देश्य –

- कामकाजी महिलाओं के लिये रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देकर राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करना
- कामकाजी महिलाओं के 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिये अच्छी देखभाल सुविधा उपलब्ध कराना।
- बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार करना।
- बच्चों के शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक विकास (सर्वांगीण विकास) को बढ़ावा देना।

प्रगति –

- एकल पालना :- अशासकीय संस्थाओं के माध्यम से वर्तमान में 9 एकल पालना का संचालन प्रदेश के तीन जिलों में किया जा रहा है। एकल पालना से वर्तमान में 236 बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। भारत सरकार के आदेशानुसार एकल पालना वर्ष 2024 -2025 तक आंगनवाड़ी सह पालना में मर्ज/बंद किया जाना प्रस्तावित है।
- आंगनवाड़ी सह पालना :- भारत सरकार द्वारा प्रदेश में 448 आंगनवाड़ी-सह पालना घर की भारत सरकार से स्वीकृति दी गई है।

वित्तीय प्रावधान –

आंगनवाड़ी सह पालना के लिये प्रति ईकाई राशि रुपये 3,35,600/- का वार्षिक प्रावधान किया गया है, जिसमें केन्द्र एवं राज्य का अनुपात क्रमशः 60:40 प्रतिशत होगा।



जवाहर बाल भवन

जवाहर बाल भवन की स्थापना मध्यप्रदेश शासन द्वारा 03 जुलाई 1987 को की गई। जवाहर बाल भवन में संचालित गतिविधियों का उद्देश्य 5 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों को उनकी आयु, अभिवृत्तियों तथा क्षमताओं के अनुरूप उन्हें परस्पर मेलजोल बढ़ाने, प्रयोग करने, सृजन तथा प्रस्तुतिकरण के लिये विभिन्न गतिविधियाँ – संगीत, नृत्य, चित्रकला, नाटक, सिलाई-कढ़ाई, गृह-विज्ञान, मूर्तिकला, हस्तकला, विज्ञान, कम्प्यूटर, खेलकूद, आधुनिक संगीत, आधुनिक अभिनय कला आदि गतिविधियाँ एवं बाल पुस्तकालय संचालित हैं। नियमित गतिविधियों के प्रशिक्षण के साथ-साथ समय-समय पर विषय विशेषज्ञों की कार्यशालाएं भी आयोजित की जाती हैं।

जवाहर बाल भवन की गतिविधियों से भोपाल के बच्चों के अतिरिक्त अन्य जिलों के बच्चों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से बाल भवन योजना का विस्तार किया जाकर वर्ष 2007 में 06 संभागीय मुख्यालय इंदौर, उज्जैन, सागर, जबलपुर, ग्वालियर एवं रीवा में एक-एक बाल भवन की स्थापना की गई, जो राष्ट्रीय बाल भवन (मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार), नई दिल्ली से भी सम्बद्ध है।

गतिविधियां –

- जवाहर बाल भवन, भोपाल में वर्ष 2023-2024 में माह अप्रैल 2023 ग्रीष्मकालीन सत्र की शुरुआत से ही बच्चों को संचालित गतिविधियों क्रमशः चित्रकला, मूर्तिकला, हस्तकला, नृत्य, नाटक, संगीत, आधुनिक संगीत, आधुनिक अभिनय कला, विज्ञान, कम्प्यूटर, गृहविज्ञान एवं खेलकूद का प्रशिक्षण शासन द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम अनुसार बाल भवनों के अनुदेशकों द्वारा अपनी-अपनी विधाओं के पंजीकृत बच्चों को दिया जा रहा है। साथ ही बच्चों के लिये समय-समय पर प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जा रहा है।
- संचालनालय, महिला एवं बाल विकास द्वारा दिनांक 02 मई, 2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित विभागीय कार्यक्रम में जवाहर बाल भवन के बाल कलाकारों द्वारा मध्यप्रदेश गान एवं लाड़ली गान की प्रस्तुति दी गई।
- दिनांक 22.05.2023 को विश्व जैव विविधता दिवस के उपलक्ष्य में जवाहर बाल भवन में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 60 बच्चों ने भाग लिया।
- क्षेत्रीय निदेशालय (मध्य), भोपाल (केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भारत सरकार) द्वारा जवाहर बाल भवन के सहयोग से दिनांक 28/05/2023 को “मिशन लाइफ स्टाइल फॉर इनवायरमेंट” विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 70 बच्चों ने भाग लिया।
- मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम भोपाल द्वारा जवाहर बाल भवन के सहयोग से दिनांक 05.06.2023 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर “साक्षरता-ऊर्जा संरक्षण-संतुलित पर्यावरण” पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 120 बच्चों ने भाग लिया।
- दिनांक 19.06.2023 को आधुनिक अभिनय कला प्रभाग के बाल कलाकारों द्वारा नाटक “मान ना मान मैं तेरा मैंहमान” का मंचन किया गया।
- जवाहर बाल भवन के स्थापना दिवस दिनांक 03.07.2023 को आधुनिक अभिनय कला प्रभाग के बाल कलाकारों द्वारा नाटक “बच्चों की आजादी” का मंचन किया गया।
- जवाहर बाल भवन के चित्रकला प्रभाग का बाल सदस्य राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में चयनित हुआ।
- “मुख्यमंत्री बाल खेल एवं सांस्कृतिक महोत्सव” की जिलास्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 02.08.2023 को जवाहर बाल भवन में किया गया, जिसमें जवाहर बाल भवन के संगीत, नृत्य एवं नाट्य प्रभारी निर्णायक के रूप में उपस्थित रहे। उक्त प्रतियोगिता के चयनित प्रतिभागियों को

जवाहर बाल भवन के अनुदेशकों द्वारा संभागीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता के लिये तैयारी कराई गई।

- “मुख्यमंत्री बाल खेल एवं सांस्कृतिक महोत्सव” की संभागीय स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन दिनांक 10.08.2023 को जवाहर बाल भवन में किया गया, जिसमें भोपाल एवं नर्मदापुरम् संभाग के बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग लिया।
- दिनांक 27.11.2023 को जवाहर बाल भवन में दोपहर 2 से 4 बजे तक 05 से 16 वर्ष तक के बच्चों के लिये “पर्यावरण संरक्षण” विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें विजेता बच्चों को विशेष पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र से सम्मानित किया गया। साथ ही समस्त प्रतिभागी बच्चों को भी पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किये गये। चित्रकला प्रतियोगिता के पश्चात बच्चों को योग प्रशिक्षण भी दिया गया।
- दिनांक 10.01.2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित महिला

सशक्तिकरण कार्यक्रम में जवाहर बाल भवन के बच्चों द्वारा संगीत की मनमोहक प्रस्तुतियाँ दी गई।

- संचालनालय द्वारा दिनांक 16.01.2024 को जवाहर बाल भवन में योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जवाहर बाल भवन के बच्चों के साथ बालिका गृह की बालिकाओं को योग का प्रशिक्षण दिया गया।

उपलब्धियां – संचालित गतिविधियों में भाग लेने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में जवाहर बाल भवन में दिनांक 31.01.2024 तक 558 एवं संभागीय बाल भवनों में 1,839 बच्चों ने अपना पंजीयन कराया।

वित्तीय वर्ष 2023-2024 में बाल भवन आयोजना-5060 अंतर्गत राशि रुपये 4,65,39,800 /- का बजट प्रावधान किया गया है।



मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग

महिला एवं बाल विकास विभाग, म.प्र.शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा दिनांक 22 दिसंबर 2007 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधरण) प्राधिकार से प्रकाशित (क्रमांक 604) क्र./एफ.10-29-06-पचास-2- बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) की धारा 36 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाए गए हैं, अर्थात:-

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम, 2007 है. (2) ये “मध्यप्रदेश राजपत्र” में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

परिभाषाएं — इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अधिनियम” से अभिप्रेत है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4);

आयोग के कृत्य — आयोग निम्नलिखित समस्त या किन्हीं कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :-

- (क) बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंधित रक्षोपायों का परीक्षण तथा पुनर्विलोकन करना तथा उन रक्षोपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उपायों की अनुशंसा करना.
- (ख) प्रतिवर्ष और ऐसे अंतरालों पर, जैसा आयोग ठीक समझे, राज्य सरकार को उन रक्षोपायों के कार्यकरण पर रिपोर्ट देना.
- (ग) बाल अधिकारों के अतिक्रमण का अन्वेषण करना और ऐसे प्रकरणों में कार्यवाही शुरू करने की अनुशंसा करना.
- (घ) आतंकवाद, साम्प्रदायिक हिंसा, दंगे, प्राकृतिक आपदा, घरेलू हिंसा, एच.आई.वी./एडस, दुर्व्यवहार, प्रताड़ना तथा शोषण, अश्लील चित्रण, तथा वैश्यावृत्ति द्वारा बालकों के अधिकारों को प्रभावित करनेवाले समस्त

कारणों का परीक्षण करना और ऐसे मामलों में समुचित उपचारात्मक उपायों की अनुशंसा करना.

- (ङ) विशेष देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक, जिनमें कठिन परिस्थितियों में बालक, उपेक्षित और प्रतिकूल परिस्थितियों में बालक, अपचारी बालक, किशोर, परिवार रहित/निराश्रित बालक तथा बंदियों के बालक सम्मिलित हैं, से संबंधित मामलों को देखना तथा समुचित उपचारात्मक उपायों की अनुशंसा करना.
- (च) बाल अधिकारों के बारे में संधियों (ट्रीटीज) तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय विलेखों का अध्ययन करना तथा विद्यमान नीतियों कार्यक्रमों तथा अन्य गतिविधियों का सामयिक पुनर्विलोकन करना तथा बालकों के सर्वोत्तम हित में उनके प्रभावी क्रियान्वयन की अनुशंसा करना.
- (छ) बाल अधिकारों के क्षेत्र में शोध करना तथा उसे बढ़ावा देना.
- (ज) समाज के विभिन्न वर्गों में बाल अधिकारों की जानकारी को प्रसारित करना तथा प्रकाशन, मीडिया, सेमीनार तथा अन्य उपलब्ध स्त्रोतों के माध्यम से इन अधिकारों के लिए उपलब्ध रक्षोपायों के प्रति जागरूकता बढ़ाना.
- (झ) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या अन्य किसी प्राधिकारी के नियंत्रणाधीन किसी भी किशोर बंदीगृह या बालकों के निवास का कोई अन्य स्थान या ऐसी संस्था जो बालकों के लिए बनी हो, जिसमें किसी सामाजिक संगठन द्वारा संचालित कोई ऐसी संस्था सम्मिलित है, जहां बच्चों को अभिरक्षा या इलाज, सुधार या संरक्षण के प्रयोजन के लिए रखा जाता हो, का निरीक्षण करना या निरीक्षण करवाना तथा यदि आवश्यक पाया जाए, तो ऐसी उपचारात्मक कार्रवाई के लिये उन प्राधिकारियों तक ले जाना.

(ज) निम्नलिखित से संबंधित विषयों पर शिकायतों की जांच करना और स्वप्रेरणा से ध्यान देना:—

- i. बाल अधिकारों का वंचन या अतिक्रमण
 - ii. बालकों की रक्षा और उनके विकास के लिए उपबंधित विधियों का अक्रियान्वयन
 - iii. बालकों की कठिनाईयों को कम करने और उनका कल्याण सुनिश्चित करने तथा ऐसे बालकों को अनुतोष उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ नीतिगत विनिश्चयों, मार्गदर्शक सिद्धांतों या अनुदेशों का अननुपालन, या ऐसे विषयों से उद्भूत प्रश्नों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना और
- (ट) किसी ऐसे मामले के संबंध में राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कर्तव्यों कापालन करना.

आयोग के अतिरिक्त कृत्य — आयोग, नियम 9 के अधीन उसे समनुदेशित कृत्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित कृत्यों का भी निर्वहन करेगा, अर्थात् :—

- (क) बाल अधिकारों पर अभिसमय के अनुपालन का निर्धारण करने के लिए विद्यमान विधि, नीति और प्रथा का विश्लेषण करना, बालकों को प्रभावित करने वाली नीति या प्रथा के किसी पहलु के संबंध में जांच करना और रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा बाल अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावित नए विधान पर टिप्पणी करना.
- (ख) राज्य सरकार को उन रक्षोपायों के कार्यकरण पर प्रतिवर्ष और ऐसे अंतरालों पर, जैसा आयोग ठीक समझे, रिपोर्ट प्रस्तुत करना.
- (ग) वहां औपचारिक अन्वेषण करना जहां चिन्ता या तो स्वयं बालकों द्वारा या उनकी ओर से संबंधित व्यक्ति द्वारा अभिव्यक्त की गई है.
- (घ) यह सुनिश्चित करना कि आयोग का कार्य बालकों के दृष्टिकोण से सीधे सूचित किया जाता है जिससे उनकी प्राथमिकताओं तथा परिप्रेक्ष्यों को परिलक्षित किया जा सके.
- (ङ) अपने कार्य में तथा बालक से संबंधित समस्त सरकारी विभागों तथा संगठनों के कार्य में बालकों के दृष्टिकोण को प्रोन्नत करना, उनका आदर करना तथा उन पर गंभीर विचार करना.

(च) बाल अधिकारों के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करना तथा उनका प्रचार करना.

- (छ) बालकों के संबंध में आंकड़े संकलित करना तथा उनका विश्लेषण करना; और
- (ज) विद्यालय के पाठ्यक्रम, अध्यापकों के प्रशिक्षण तथा बालकों से संबंधित कार्मिकों के प्रशिक्षण में बाल अधिकारों के समावेशन को प्रोन्नत करना।

परिवादों को निपटाने के लिये प्रक्रिया — (1) समस्त परिवाद, जो राज्य आयोग द्वारा किसी भी रीति में प्राप्त किये गये हों, रजिस्ट्रीकृत किए जाएंगे और उन्हें एक क्रमांक दिया जाएगा तथा इस प्रयोजन के लिए गठित दो सदस्यीय न्यायपीठ (बेंच) के समक्ष साधारणतया उसकी प्राप्ति की तारीख से दो सप्ताह से अनधिक के लिए स्वीकृति हेतु रखा जाएगा. साधारणतया निम्नलिखित प्रकृति के परिवाद आयोग के लिये ग्राह्य नहीं है.—

- (क) ऐसी घटनाओं के संबंध में, जो परिवाद प्रस्तुत करने के एक वर्ष से अधिक पूर्व घटित हुई हैं;
 - (ख) ऐसे मामलों के संबंध में जो न्यायाधीन हैं;
 - (ग) जो स्पष्ट नहीं हैं, बिना किसी नाम से या छद्म नाम से हैं;
 - (घ) जो तुच्छ प्रकृति के हैं;
 - (ङ) जो आयोग के अधिकारिता के बाहर हैं.
- (2) परिवादों के लिए कोई फीस देय नहीं होगी.
- (3) प्रत्येक परिवाद हिन्दी या अंग्रेजी में किया जाना चाहिए जिससे कि आयोग तुरंत कार्यवाही करने हेतु समर्थ होगा तथा ऐसा प्रत्येक प्रयास किया जाना चाहिए कि उस मामले की प्रकृति पूर्णतया स्पष्ट हो जाए जिसके कारण परिवाद किया गया है। तथापि परिवादों को सुविधानुसार फाइल करने के लिए आयोग, संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी भाषा में किए गए परिवाद को स्वीकार कर सकेगा। आयोग को यह भी स्वतंत्रता होगी कि वह जब कभी आवश्यक समझे अभिकथनों के समर्थन में और जानकारी तथा शपथ पत्र फाइल किए जाने की अपेक्षा करे.
- (4) आयोग, स्वविवेकानुसार, तार, या ई-मेल से भेजे गए परिवादों और फैंक्स माध्यम से परिवादों को ग्रहण करेगा.

(5) आयोग को किसी परिवाद को आरंभ में ही खारिज करने की शक्ति होगी.

(6) किसी परिवाद के ग्रहण कर लिए जाने के पश्चात् अध्यक्ष/आयोग यह निर्देश देगा कि क्या मामला आयोग की जाँच के लिए रखा जाए या और अन्वेषण किया जाना चाहिए.

(7) प्रत्येक परिवाद के संबंध में, जिस पर अध्यक्ष/आयोग द्वारा कोई ऐसा विनिश्चय किया गया है कि क्या उसकी जांच या अन्वेषण किया जाना चाहिए, तो आयोग संबंधित सरकार/प्राधिकारी से रिपोर्ट/टिप्पणी मंगाएगा और इस प्रयोजन के लिए सरकार/प्राधिकारी को समुचित समय दिया जाएगा.

(8) संबंधित प्राधिकारी की टिप्पणी प्राप्त होने पर, उस मामले के गुणागुण के आधार पर एक विस्तृत टीप आयोग के विचारण के लिए तैयार की जाएगी.

आयोग स्वप्रेरणा से कार्रवाई करेगा — आयोग स्वविवेकानुसार याचिकाकर्ता को या याचिकाकर्ता की ओर से किसी अन्य व्यक्ति को, और यदि आयोग की यह राय हो कि ऐसे अन्य व्यक्ति को, और यदि आयोग की यह राय हो कि ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को उसके समक्ष मामले के समुचित निपटारे के लिए सुना जाना चाहिए, तो व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान कर सकेगा और जहां आवश्यक हो सके संबंध में अभिलेख मंगा सकेगा तथा विषयों का परीक्षण कर सकेगा। आयोग उन व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा जिनका चरित्र उसकी जांच की विषयवस्तु है और उसकी राय में उनकी ख्याति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है और परिवार के समर्थन में साक्षियों के प्रतिपरीक्षण, यदि कोई हो, करने

का तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देगा।

म.प्र. बाल अधिकार संरक्षण आयोग, भोपाल में कार्यरत अध्यक्ष/सदस्यों के कार्यकाल की जानकारी

वर्तमान में आयोग में कार्यरत अध्यक्ष/सदस्यों के कार्यकाल की जानकारी निम्नानुसार है:-

01. श्री द्रविन्द्र मोरे (अध्यक्ष) 26/09/2022 से निरन्तर...

02. डॉ. निवेदिता शर्मा (सदस्य) 26/09/2022 से निरन्तर...

03. श्रीमती मेघा पवार (सदस्य) 26/09/2022 से निरन्तर...

04. श्रीमती सोनम निनामा (सदस्य) 26/09/2022 से निरन्तर...

05. श्रीमती निशा श्रीवास्तव (सदस्य) 26/09/2022 से निरन्तर...

06. श्री औंकार सिंह (सदस्य) 26/09/2022 से निरन्तर...

07. श्री अनुराग पाण्डेय (सदस्य) 26/09/2022 से निरन्तर...

प्राप्त शिकायतों की स्थिति

1 अप्रैल, 2023 से 15 जनवरी, 2024 तक आयोग में प्राप्त, निराकृत एवं लंबित शिकायतों की स्थिति निम्नानुसार है :-

प्रकरणों का विवरण	कुल प्राप्त शिकायत	निराकृत	प्रचलित
RTE	40	11	29
POSCO	141	29	112
JJ	213	40	173
OTHER	161	19	142
TOTAL	555	99	456

आयोग का पता

मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग, 59, तृतीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल

मूल्यांकन एवं निगरानी

विभागीय योजनाओं एवं आंगनवाड़ी सेवाओं, समेकित बाल संरक्षण योजना, वन स्टॉप सेन्टर आदि योजनाओं एवं गतिविधियों के क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण को बेहतर बनाने के उद्देश्य से वेब-बेस्ड एम.आई.एस. पोर्टल mpwcdmis.gov.in बनाया गया है साथ मैदानी अमले से नियमित जानकारी प्राप्त करने तथा पर्यवेक्षण को वास्तविक समय निगरानी हेतु सम्पर्क एप्लिकेशन तैयार किया गया है। उक्त पोर्टल के समानांतर, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के लिये laddilaxmi.mp.gov.in, “मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023” के लिये lbadmin.mp.gov.in तथा योजना की जानकारी हेतु पब्लिक पोर्टल cmladlibahna.mp.gov.in प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अन्तर्गत पंजीकृत हितग्राहियों के भुगतान एवं निगरानी हेतु pmmvy-cas.nic.in पोर्टल तथा आंगनवाड़ी सेवाओं की हितग्राही वार निगरानी हेतु Poshantracker.in डैशबोर्ड एवं एप्लिकेशन संचालित हैं। समेकित बाल संरक्षण योजना अंतर्गत पोर्टल cara.nic.in संचालित है।

पोर्टल mpwcdmis.gov.in के माध्यम से –

- आंगनवाड़ी स्तर से मासिक प्रगति प्रतिवेदन एवं वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन की रिपोर्टिंग सीधे सम्पर्क एप्लीकेशन के माध्यम से की जाती हैं।
- विभिन्न संकेतकों के आधार पर निगरानी एवं मूल्यांकन।
- ए.एम.पी.आर. डैशबोर्ड द्वारा विभिन्न संकेतकों के आधार पर तुलनात्मक विश्लेषण स्वतः निर्मित होती है।
- विभाग की विभिन्न योजनाओं, आंगनवाड़ी भ्रमण, निर्माण से संबंधित विभिन्न रिपोर्ट्स विभिन्न स्तरों पर प्राप्त की जा सकती है।
- सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं के प्रतिमाह मानदेय भुगतान की प्रक्रिया एम.आई.एस. के माध्यम से निर्मित उपस्थिति पत्रक के आधार पर की जाती है।
- ई-डिस्पैच के माध्यम से संचालनालय द्वारा जारी पत्रों को ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है।
- सभी स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जानकारी एम.आई.एस. से प्राप्त की जा सकती है।



पोर्टल Poshantracker.in के माध्यम से –

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आंगनवाड़ी सेवाओं के हितग्राही वार निगरानी हेतु क्रियान्वित पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से प्राप्त गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं, 06 वर्ष तक के बच्चों एवं आंकाक्षी जिलों के 14 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को प्रादाय सेवाओं की जानकारी प्राप्त की जा रही है।
- आंगनवाड़ी केन्द्रों में टेक होम राशन की डिमांड मासिक प्रगति प्रतिवेदन में दर्ज हितग्राही आंकड़ों के आधार पर निर्मित होती है।
- प्रति माह सभी 06 वर्ष के आयुवर्ग के बच्चों के पोषण स्तर की नियमित अद्यतन जानकारी पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से प्राप्त की जा रही है।
- आंकाक्षी विकास खण्डों हेतु नीति आयोग द्वारा निर्धारित संकेतांक एवं सक्षम आंगनवाड़ी की जानकारी हेतु पोषण ट्रैकर पोर्टल पर अतिरिक्त डैशबोर्ड की सुविधा प्रदान की गई है।



पोर्टल ladlilaxmi.mp.gov.in के माध्यम से –

मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना अंतर्गत लाभान्वित हितग्राही बालिकाओं की जानकारी ऑन लाईन संकलित की जाती है एवं योजना अंतर्गत उन्हें ऑन लाईन निर्मित सर्टिफिकेट प्रदाय किये जाते हैं।



पोर्टल cmladlibahna.mp.gov.in के माध्यम से –

मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 अंतर्गत लाभ हेतु पात्रता अनुसार 21 से 60 वर्ष की आयुवर्ग की महिलाओं का ऑन लाईन पंजीयन उक्त पोर्टल के माध्यम से किया गया है। पंजीकृत हितग्राही महिलाओं को प्रतिमाह प्राप्त होने वाले लाभ का हितग्राही वार विवरण ऑनलाईन संकलित की जाती है एवं योजना अंतर्गत उन्हें ऑनलाईन भुगतान किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त आम लोगों एवं योजना के पात्र हितग्राहियों को योजना की जानकारी हेतु पब्लिक पोर्टल cmladlibahna.mp.gov.in भी संचालित किया जा रहा है।



पोर्टल pmmvy-cas.nic.in के माध्यम से –

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत पात्र हितग्राहियों का आवेदन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से प्राप्त किये जाकर उनका pmmvy-cas.nic.in में परियोजना अधिकारी के माध्यम से ऑनलाईन पंजीयन करते हुये योजना अंतर्गत प्रदाय की जाने वाली राशि सीधे हितग्राही के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है।

पोर्टल cara.nic.in के माध्यम से –

समेकित बाल संरक्षण योजना अंतर्गत संचालित विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरणों व बाल ग्रहों में निवासरत बच्चों के दत्तक ग्रहण संबंधी प्रावधानों तथा जानकारी प्राप्त की जा सकती है।



“सम्पर्क एप्लीकेशन”

महिला एवं बाल विकास द्वारा विभागीय एमआईएस के माध्यम से विभागीय गतिविधियों एवं योजनाओं की सतत निगरानी तथा रीयल टाईम आंकड़ों के संग्रहण एवं विश्लेषण हेतु एनरॉयड तकनीक आधारित “सम्पर्क एप्लीकेशन” विकसित की गई है। जिसका उपयोग विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा एनरॉयड मोबाईल फोन पर सरलता से किया जा रहा है। सम्पर्क एप्लीकेशन के माध्यम से विभाग द्वारा वार्षिक सर्वे, मासिक प्रतिवेदन, प्रति दिवस की उपस्थिति, क्षेत्र भ्रमण एवं अन्य मुख्य सेवाओं/कार्यक्रम जैसे मुख्यमंत्री बाल आरोग्य सवंर्द्धन कार्यक्रम (MMBASK) अन्तर्गत C-SAM कार्यक्रम अन्तर्गत हितग्राही वार आंकड़ों को संग्रहित एवं संधारित किया जा रहा है। संपर्क एप्लीकेशन में निम्न प्रमुख माड्यूल विकसित किये गए हैं—



1 आंगनवाड़ी सेवाओं एवं विभाग की अन्य योजनाओं का वार्षिक सर्वे एवं मासिक प्रगति प्रतिवेदन – पूर्व में विभाग की प्रमुख गतिविधियों पर आंगनवाड़ी स्तर पर प्रति वर्ष माह अप्रैल में वार्षिक सर्वे एवं प्रतिमाह मासिक प्रगति प्रतिवेदन (Monthly Progress Report-MPR) हार्ड-कॉपी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा भरे जाने के उपरान्त पर्यवेक्षक के माध्यम से समीक्षा उपरान्त परियोजना कार्यालय में वेब आधारित एम.आई.एस. प्रणाली में आंकड़ों को दर्ज किये जाने की कार्यवाही की जाती रही है। इस प्रक्रिया में विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा ऑनलाइन विभागीय MIS के वेब-पेज पर संख्यात्मक जानकारी भरी जाती है, जिससे MIS के अद्यतन में प्रायः विलंब एवं एंट्री के दौरान विसंगतियां होने की संभावना बनी रहती थी। विभाग द्वारा उपयोग की जा रही नवीन टेक्नोलॉजी अन्तर्गत सम्पर्क एप्लीकेशन के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा मैदानी स्तर के आंकड़े दर्ज किये जा रहे हैं।

2 गंभीर कुपोषित बच्चों के आंकड़ों का संधारण – प्रदेश के सभी मध्यम गंभीर कुपोषित (MAM) एवं अति गंभीर कुपोषित (SAM) बच्चों की नामवार जानकारी को C-MAM माड्यूल में दर्ज किया जा रहा है। इसके अंतर्गत सभी MAM एवं SAM बच्चों को दी जाने सेवाओं, पूरक पोषण आहार, साप्ताहिक फॉलोअप की जानकारी प्राप्त की जाती है। माह जुलाई 2023 से पोषण ट्रैकर से प्राप्त MAM एवं SAM बच्चों की नामवार जानकारी भारत सरकार से प्राप्त। PI के माध्यम से सीधे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को उपलब्ध कराया जा रहा है। इस प्रक्रिया में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सीधे तौर पर बच्चों के वजन एवं लम्बाई/ऊँचाई का सत्यापन कर MAM एवं SAM बच्चों को दी जाने सेवाओं एवं उनके फॉलो-अप की जानकारी संधारित कर रही है। वर्तमान में ऐप में लगभग 09.32 लाख मध्यम गंभीर कुपोषित एवं 2.75 लाख अति गंभीर कुपोषित बच्चों को दर्ज किया जाकर 88 प्रतिशत बच्चों की पोषण स्तर में सुधार किया गया है, शेष बच्चों की सतत निगरानी की जा रही है।

3 मैदानी अमले की उपस्थिति को दर्ज करना – सम्पर्क एप्लीकेशन के माध्यम से विभाग द्वारा 97135 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, 3401 पर्यवेक्षक एवं 500 से अधिक विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों की उपस्थिति की स्थिति को मॉनिटरिंग का प्रावधान भी शामिल किया गया है।

4 दैनिक गतिविधियों के प्रतिवेदन एवं निगरानी – सम्पर्क एप्लीकेशन के माध्यम से आंगनवाड़ी केन्द्र, सेक्टर, परियोजना एवं जिला स्तर पर आयोजित होने वाली गतिविधियों के प्रतिवेदन को फोटो सहित प्रविष्ट करने का प्रावधान भी शामिल किया गया है।

5 GIS आधारित भ्रमण प्रविष्टि :- विभाग द्वारा सम्पर्क एप्लीकेशन के माध्यम से प्रत्येक स्तर पर किये जाने वाले क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान आंगनवाड़ी केन्द्र सहित विभाग की योजना अन्तर्गत संचालित गृहों एवं संस्थाओं के भ्रमण हेतु चेक लिस्ट को उपलब्ध कराया गया है।

इस प्रकार विभाग द्वारा सम्पर्क एप्लीकेशन की नवीन टेक्नोलॉजी के उपयोग से विभागीय कार्य को सुगम एवं ज्यादा युक्तिपरक बनाने में सहयोग प्राप्त हुआ है। इस संबंध विभाग द्वारा निरन्तर सुधारात्मक प्रयास किये जा रहे हैं।

सर्वाधिक आधार पंजीयन करने वाली पर्यवेक्षक सम्मानित



संचालनालय महिला एवं बाल विकास भोपाल में दिनांक 29.09.2023 को आयोजित एक कार्यक्रम में आयुक्त महिला एवं बाल विकास द्वारा आधार पंजीयन अंतर्गत उल्लेखनीय कार्य के लिए सर्वाधिक आधार पंजीयन करने वाली पर्यवेक्षकों श्रीमती ललिता अहिरवार (शाजापुर), श्रीमती माया वर्मा (रतलाम), श्रीमती माया मिमरोट (शाजापुर) एवं श्रीमती वीना तैलंग (बैतूल) को सम्मानित किया गया। आगामी माहों में आधार पंजीयन अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले अन्य पर्यवेक्षकों एवं आधार पंजीयन मास्टर ट्रेनर्स को भी सम्मानित किया जाएगा।



सामुदायिक सहभागिता एवं प्रचार गतिविधियां

महिला एवं बाल विकास विभाग आधी से ज्यादा आबादी के विकास, स्वास्थ्य, पोषण, कौशल, सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए कई योजनायें और कार्यक्रम चलाता है। इनके तहत दी जाने वाली सेवाओं की माँग, कार्यक्रमों में समुदाय की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने एवं हितग्राहियों/जनसमुदाय के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए विभाग ने सुनियोजित सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन रणनीति तैयार कराई है। इस रणनीति के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन प्रत्येक स्तर पर किया जाता है। प्रचार-प्रसार हेतु डिजिटल एवं सोशल मीडिया के साथ-साथ सभी तरह के प्रचार माध्यमों का उपयोग किया जाता है।

इससे सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त हो रहे हैं, एवं विभिन्न विकास, स्वास्थ्य, पोषण सूचकांकों में सुधार परिलक्षित हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-2024 में विभागीय योजनाओं, कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार व जागरूकता के लिये कई गतिविधियां आयोजित हुईं :

विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त 2023 का आयोजन :

प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी विश्व स्तनपान सप्ताह के दौरान कई गतिविधियों का आयोजन किया गया। अधिकतम हितग्राही कवरेज सुनिश्चित करने के लिए

राज्य, जिला और आंगनवाड़ी केंद्र स्तर पर विश्व स्तनपान सप्ताह गतिविधियाँ आयोजित की गईं। इन गतिविधियों के अलावा वेबिनार, ऑनलाइन मीटिंग और कार्यशालाएं आयोजित की गईं। जमीनी स्तर पर आयोजित गतिविधियों के बारे में जागरूकता और कवरेज बढ़ाने के लिए यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जैसे सोशल मीडिया और स्ट्रीमयार्ड, जूम जैसे प्रशिक्षण प्लेटफार्मों का भी व्यापक रूप से उपयोग किया गया। सप्ताह की मुख्य थीम का लोगो, एंथम जारी किया गया। उन्मुखीकरण और जागरूकता के लिये ऑनलाइन प्रशिक्षण, तकनीकी बेबिनार का आयोजन किया गया। इसमें 28,000 से अधिक प्रतिभागियों द्वारा भागीदारी की गई। सोशल मीडिया के माध्यम से स्तनपान के महत्व पर केन्द्रित विभिन्न संदेश प्रसारित किये गये।

शुभारम्भ गतिविधियों में 73.2 हजार आंगनवाड़ी केंद्रों पर रंगोली सजाई गई, जिसमें 4.15 लाख लोगों ने भाग लिया। इसी प्रकार, 72.3 हजार आंगनवाड़ी केंद्रों की सजावट की गई और इस गतिविधि में 3.64 लाख लोगों ने भाग लिया। 70.4 हजार आंगनवाड़ी केंद्रों पर बैनर/पोस्टर/नारा लेखन/दीवार लेखन किया गया, जिसमें 3.29 लाख लोगों की भागीदारी रही। इनके अलावा 66.8 हजार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने उद्घाटन गतिविधियों के तहत अन्य गतिविधियों की



सूचना दी, जिनमें मेंहदी, झाड़ंग प्रतियोगिता, कुर्सी दौड़, स्वस्थ नुस्खा, पोषण थाली, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, लघु नाटिका, स्वस्थ आहार पर चर्चा, नानी-दादी संवाद (दादा-दादी चर्चा) शामिल हैं। बाल चौपाल, स्कूली छात्रों, महिलाओं और किशोरों की रैली और कई अन्य गतिविधियाँ भी आयोजित की गईं जिनमें 4.27 लाख लोगों ने भाग लिया।

60 हजार से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में गांवों की सक्रिय भागीदारी के साथ लगभग 1.69 हजार से अधिक गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की गई। 44 हजार से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों पर विशेष वीएचएनडी का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 3.38 लाख से अधिक महिलाओं और बच्चों को एएनसी, पीएनसी, टीकाकरण और स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा सत्र में भागीदारी जैसी सेवाओं से लाभान्वित किया गया। 80 हजार से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा स्तनपान कराने वाली माताओं को लक्षित करने के लिए विशेष गृह भेंट कर लगभग 3.10 लाख से अधिक महिलाओं को परामर्श दिया गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा बच्चों की देखभाल और स्तनपान में पुरुषों की भूमिका पर लगभग 69 हजार से अधिक बैठकें की गईं, जिसमें 2.25 लाख से अधिक पुरुषों ने भाग लिया।

पोषण माह का आयोजन :

भारत सरकार के निर्देशानुसार माह सितम्बर को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष भी “सुपोषित

भारत-साक्षर भारत-सशक्त भारत” की थीम पर पोषण गतिविधियों का आयोजन किया गया एवं प्रचार-प्रसार किया गया। उन्मुखीकरण और जागरुकता के लिये ऑनलाईन बेविनार का आयोजन किया गया। जिसमें 25,000 से अधिक प्रतिभागियों द्वारा भागीदारी की गई। छात्र-छात्राओं में पोषण के प्रति जनजागरुकता लाने के उद्देश्य से प्रदेश के महाविद्यालयों में पोषण क्विज का आयोजन किया गया। पोषण माह में श्रीअन्न (मिलेट्स) के प्रचार-प्रसार और बढ़ावा देने के लिये पोस्टर एवं वीडियो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

“हमारा सपना-सुपोषित भारत अपना” विषयवस्तु पर आधारित वीडियो कैम्पेन किया गया। इस कैम्पेन में समुदाय की बात समुदाय के साथ की तर्ज पर पोषण संदेश देने वाले 100 से अधिक वीडियो प्राप्त हुए जिन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित किया गया। पोषण वीडियो कैम्पेन के वीडियो पोषण वाटिका, किशोरी स्वास्थ्य, एनीमिया, स्तनपान, बच्चों का खानपान, पोषण में पुरुषों की भूमिका, आंगनवाड़ी की सेवाएं, पोषण शिक्षा आदि पर आधारित थे। इन वीडियो को समुदाय, किशोरी बालिका, महिला समूह, किसान, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा, सामुदायिक कार्यकर्ता शिक्षक, स्थानीय जनप्रतिनिधि, पोषण विशेषज्ञ, गायक मंडली तैयार किया। इससे पोषण जागरुकता पर विभिन्न भाषा शैली में, एकदम जमीनी और मौलिक आवाजें निकलकर आईं।

“पोषण चुनौतियां और समाधान” विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। सोशल मीडिया



के इन्फ्लूएंसर्स इस कार्यशाला के मुख्य प्रतिभागी रहे। गुना जिले में शार्ट फिल्म फेस्टीवल और वीडियो मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना का प्रचार

मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना की उपलब्धियों को परिलक्षित कर सघन प्रचार किया गया। कई राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय समाचार पत्रों/पत्रिकाओं में विज्ञापन, इम्पेक्ट, फीचर प्रकाशित कराये। लाड़ली लक्ष्मी क्लब की बालिकाओं को दिनांक 25 अप्रैल 2023 को ऑनलाईन प्रशिक्षण दिया गया जिसमें 25 हजार जगहों से प्रतिभागिता रही। दिनांक 2 मई 2023 को माननीय मुख्यमंत्री निवास पर लाड़ली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से लगभग 2000 लाड़ली बालिकाओं एवं उनके अभिभावकों ने भाग लिया। कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित इस कार्यक्रम का सघन प्रचार-प्रसार किया गया। योजना की Branding, बैकड्राप, वाल पेंटिंग, होर्डिंग, गेन्ट्री, LED से प्रचार किया गया। लाड़ली उत्सव का आकाशवाणी, दूरदर्शन, वेबकास्ट एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सीधा प्रसारण कराया गया। दिनांक 1 जून 2023 को मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना की हितग्राही बालिकाओं के बाघा बार्डर जाने वाले कार्यक्रम “माँ तुझे प्रणाम” का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कुछ बालिकाओं द्वारा अपनी पूर्व यात्रा के अनुभवों को साझा किया। इस कार्यक्रम के तहत 120 बालिकाओं द्वारा

बाघा बार्डर का भ्रमण किया गया। कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया।

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना का प्रचार

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना का सघन प्रचार किया। योजना की Branding, लोगो, थीम सांग, फिल्म, प्रशिक्षण वीडियो, फोल्डर, बेनर, पोस्टर आदि का निर्माण कराया। माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित राज्यस्तरीय एवं जिलास्तरीय लाड़ली बहना सम्मेलनों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया। योजना की Branding, बैकड्राप, होर्डिंग, गेन्ट्री, LED से प्रचार किया गया। कार्यक्रमों का आकाशवाणी, दूरदर्शन, वेबकास्ट एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सीधा प्रसारण कराया गया। सोशल मीडिया में अनेकों बार # टैग ट्रेंड हुये। इन कार्यक्रमों में ऑनलाईन लाखों प्रतिभागी, जनप्रतिनिधि शामिल हुये।

योजना पर केन्द्रित कैलेण्डर तैयार कराया गया और हितग्राहियों को वितरित किया गया।

महिला सशक्तिकरण सप्ताह

मकर संक्रांति के अवसर पर प्रदेश में दिनांक 10 से 15 जनवरी 2024 तक प्रदेश में महिला सशक्तिकरण सप्ताह का आयोजन किया गया। यह आयोजन प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में चलाई जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों पर आधारित गतिविधियों का आयोजन जिला, विकासखंड एवं ग्राम स्तर पर किया





गया। मकर संक्रांति त्यौहार का अवसर होता है, महिलायें त्यौहार में रंग भरती हैं। ऐसे ही मंशा के साथ में उनके सशक्तिकरण के लिए पूरे प्रदेश में कई गतिविधियां आयोजित की गई। महिला सशक्तिकरण सप्ताह के प्रथम दिवस राज्य स्तर पर आयोजित कार्यक्रम से वेबकास्ट के माध्यम से 49,225 प्वाइंट्स पर 18,26,699 लोग जुड़े। रिपोर्ट्स साझा करने वाले जिलों में लगभग 143709 गतिविधियां आयोजित की गयी, जिनमें लगभग 22,24,764 प्रतिभागी शामिल हुए। हाल में ही जन्मी 22972 बालिकाओं का जन्म उत्सव मनाया गया। कई तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित हुईं। मकर संक्रांति के प्रतीकात्मक तिल-गुड़ के लड्डू, उपहार वितरित किये गए। पूरे सप्ताह आयोजित इन गतिविधियों में समुदाय की सशक्त भागीदारी हुई।

अन्य महिला सशक्तिकरण योजनाओं का प्रचार

- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत विशेष पंजीयन अभियान का प्रचार-प्रसार किया गया। योजना की हितग्राही महिलाओं की सफल गाथाओं का प्रसार किया गया।
- महिला हेल्पलाइन 181 के प्रचार हेतु ऑनलाइन प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में लगभग 14,000 से ज्यादा प्रतिभागी शामिल हुए।
- बाल विवाह रोकथाम पर केन्द्रित समाचारों, संदेशों का प्रचार-प्रसार किया गया।

अन्य

- विकसित भारत संकल्प यात्रा का सघन प्रचार-प्रसार किया गया।
- PMJANMAN योजना का प्रचार-प्रसार किया गया।



सोशल मीडिया से प्रचार

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा भी प्रचार-प्रसार, जनजागरुकता के लिये सभी तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म – फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्वीटर आदि का उपयोग किया जाता है। इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इमेज, ग्राफिक्स, वीडियो, ऑडियो, इन्फोग्राफिक्स, मोशन पोस्टर, एनीमेशन आदि के द्वारा नियमित रूप से व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया। विभिन्न विषयों पर सहभागिता संवाद, वेबीनार का लाईव प्रसारण किया गया। विभागीय अमले के साथ ही आमजनों ने भी एक लाख से अधिक प्वाइंटस् से प्रसारणों का लाभ लिया। विभागीय व्हाट्सअप ग्रुप के माध्यम से भी विभागीय अमले को संदेश भेजे गए।

विभागीय योजनाओं की जानकारी/उपलब्धियों, विभिन्न विशेष दिवसों, सप्ताहों, पखवाड़ा, माह का, कारा की नई गाईडलाइन, महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, महिला हिंसा रोकथाम, महिला हेल्प लाइन, माहवारी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, शाला पूर्व शिक्षा, आँगनवाडी भवनों का सौन्दर्यीकरण, आयुर्वेद दिवस, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम, बेक टू स्कूल, पोषण वाटिका, बाल संरक्षण, निजी स्पॉन्सरशिप, बाल अधिकारों जागरुकता के प्रचार-प्रसार हेतु इन विषयों पर केन्द्रित इमेज, ग्राफिक्स, क्विज सोशल मीडिया पर अपलोड किये गये।

28 मई अंतर्राष्ट्रीय माहवारी स्वच्छता दिवस

24% स्कूल जाने वाली लड़कियां माहवारी के दौरान स्कूल से अनुपस्थित रहती हैं।

#noshame माहवारी में



महिला एवं बाल विकास विभाग

महिला सशक्तिकरण

एवं युवा ऊर्जा पर केन्द्रित

मकर संक्रांति उत्सव

10-15 जनवरी, 2024

मुख्यमंत्री

डॉ. मोहन यादव

भारत

मुख्यमंत्री लड़की बहना योजना आर्ग

1.29 करोड़ बच्चों को ₹ 1576 करोड़ की सहायता

56 लाख से अधिक परिवारों को ₹ 341 करोड़ की पैसा एवं अर्थिक सहायता का भंडार

10 जनवरी, 2024 : कुलामात्र सबसे कमरेस मीट, मोशन

आप भी शामिल हों !!!!

महिला एवं बाल विकास विभाग

mpwcdnis.gov.in
sashaktikarn.mp.gov.in

MPWCD
mp_wcd

@hwcdrp
mpwcd

24 जनवरी 2024

राष्ट्रीय बालिका दिवस

की हार्दिक शुभकामनाएं

जीवन, शिक्षा एवं प्यार बेटियों का भी है अधिकार



महिला एवं बाल विकास विभाग

mpwcdnis.gov.in
sashaktikarn.mp.gov.in

MPWCD
mp_wcd

@hwcdrp
mpwcd

मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना

मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में किसी भी प्रकार के प्रमाणपत्र यथा मूल निवासी/आय प्रमाणपत्र/जमीन के दस्तावेज आदि की आवश्यकता नहीं है।

योजना में मात्र स्व घोषणा से ही पात्रता का निर्धारण होगा।



महिला एवं बाल विकास विभाग

Social Media Reach

Twitter Total followers 484	Facebook Page Likes 18600	Instagram Total followers 1021	Youtube Subscribers 27000	Zoom Meetings
01 April 2023 to 31 Jan 2024				
Total tweets - 2019 Impressions – 25200	Page reach - 7,11,120 Impressions - 20,30,423 Viewership by gender - women (47.4%), men (52.6%)	Followers - 1121	Views - 201300 Watch time – 16300 Impressions - 7,28,215 Viewership by gender - women (63.3%), men (36.7%)	Total Meetings Hours – 375 With Full Capacity

गणतंत्र दिवस 2024 पर जिलों में प्रदर्शित झांकी



- विधानसभा निर्वाचन 2023 में प्रचार-प्रसार – विधानसभा निर्वाचन 2023 के समय स्वीप गतिविधियों के तहत मतदाता जागरूकता के लिये सोशल मीडिया आदि के द्वारा प्रचार-प्रसार किया गया।



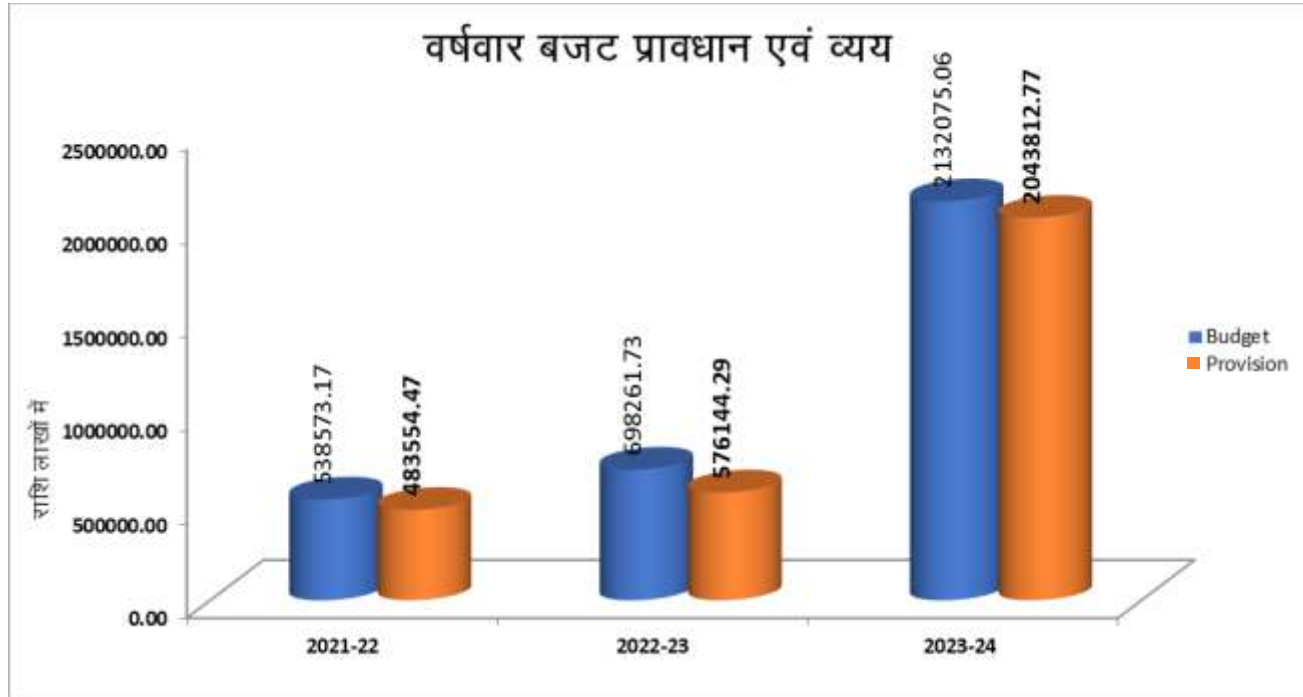
बजट – एक समग्र विश्लेषण

वित्तीय वर्ष 2023–2024 में महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश के लिये मूल बजट में अनुपूरक, पुर्नविनियोजन एवं समर्पण को समाहित करते हुए कुल राशि रुपये 21,32,075.06 लाख का प्रावधान किया गया है जिसके विरुद्ध कुल राशि रुपये 20,43,812.77 लाख का व्यय किया है।

विभाग के लिये वित्तीय वर्ष 2021–2022, 2022–2023 एवं 2023–2024 में प्रावधानित बजट (अनुपूरक, पुर्नविनियोजन एवं समर्पण सहित) एवं व्यय का विवरण निम्नानुसार है –

वर्षवार बजट प्रावधान एवं व्यय (राशि लाख रुपयों में)

क्र.	वित्तीय वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय
1	2021–2022	5,38,573.17	4,83,554.47
2	2022–2023	6,98,261.73	5,76,144.29
3	2023–2024	21,32,075.06	20,43,812.77



वित्तीय प्रावधान एवं व्यय की योजनावार जानकारी							
राशि लाखों में							
योजना कोड	योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2021-22		वित्तीय वर्ष 2022-23		वित्तीय वर्ष 2023-24	
		कुल बजट प्रावधान (अनुपूरक / पूर्वविशेषांश न / समर्पण सहित)	कुल व्यय	कुल बजट प्रावधान (अनुपूरक / पूर्वविशेषांश न / समर्पण सहित)	कुल व्यय	कुल बजट प्रावधान (अनुपूरक / पूर्वविशेषांश न / समर्पण सहित)	कुल व्यय
658	आंगनवाड़ी सेवा योजना	118210.02	102390.36	217036.73	161947.82	355049.78	301965.68
830	किशोर न्याय अधिनियम 1986 के अन्तर्गत किशोर कल्याण बोर्ड का गठन	27.60	8.73	18.13	6.85	18.13	9.04
851	राष्ट्रीय झूलाघर योजना	598.50	195.73	100.00	0.00	100.00	0.00
1071	महिला हेल्पलाईन 181	0.07	0.00	80.00	38.46	80.00	58.31
1204	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना	0.00	0.00	2100.00	537.24	1510.00	1401.84
1289	म.प्र. राज्य समाज कल्याण बोर्ड को अनुदान	692.49	680.00	194.00	105.50	128.73	122.09
1291	आई.सी.डी.एस. के सुदृढीकरण एवं पोषण स्तर के सुधार की परियोजना ISSNIP / NNM	16745.92	16600.03	15072.54	10126.60	16440.70	11669.92
1326	स्वधार गृह	250.00	141.16	250.00	0.00	607.82	607.82
1327	वन स्टाप सेंटर सखी	0.01	0.00	1661.24	0.00	2109.37	820.48
1405	उदित परिशोजना	199.66	124.65	199.66	122.79	0.44	0.17
2367	महिला शक्ति केन्द्र	1430.02	0.00	1202.00	0.00	0.14	0.00
2375	सेफ सिटी कार्यक्रम	174.51	119.63	174.50	0.00	0.00	0.00
3457	मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना (महिला कल्याण कोष के अन्तर्गत योजनाएं)	90.93	35.89	90.00	67.83	0.00	0.00
5033	वैश्या उन्मूलन योजना (जाबाली योजना)	150.01	51.82	150.01	21.05	50.01	23.79
5060	बाल भवन की स्थापना	435.66	330.40	444.95	332.29	474.01	350.34
5067	लाडली लक्ष्मी योजना	112153.22	106801.84	92554.23	92257.23	97213.77	93584.92
5360	आंगनवाड़ी केन्द्रों का भवन निर्माण	9000.00	8993.02	9652.15	8696.22	9299.90	5791.40
5608	महिला विश्रामालय का भवन निर्माण	324.00	318.65	107.00	6.73	300.00	0.00
5643	आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय	89341.25	84764.44	87041.26	59103.54	0.00	0.00
5669	मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
5827	बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन	271.21	176.99	293.57	214.22	293.58	251.94
6103	समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.)	7516.22	6830.45	9612.97	6317.13	13259.34	7647.13
6392	किशोरी बालिका योजना (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0)	4499.98	0.00	0.19	0.00	0.19	0.00
6442	अटल बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन	0.03	0.00	1351.68	7.37	0.03	0.00
6917	प्रधानमंत्री मातृवृंदना योजना(पी.एम.एम्.व्ही.वाई.)	19627.33	12729.99	40066.41	33981.09	27799.85	17586.09
7300	स्व. श्री सुशील चन्द्र वर्मा पुरस्कार योजना	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7449	सेक्टर स्तरीय कार्यालय सह प्रशिक्षण केन्द्रों के भवनों का निर्माण	1352.02	0.00	0.00	0.00	1352.02	0.00
7700	मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास योजना	0.10	0.00	0.10	0.00	315.58	308.28
7854	पोषण अभियान 2.0	0.03	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
8052	किशोर कल्याण निधि योजना	100.00	0.00	617.00	409.18	460.00	418.14
8681	राज्य महिला आयोग का गठन	316.03	218.11	337.28	213.26	335.45	202.56
8857	मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना	648.40	566.90	818.40	801.30	798.00	756.25
9041	संचालनालय महिला एवं बाल विकास	13515.72	11761.21	14915.09	13076.86	13494.82	13044.53
9050	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना	140902.22	129714.47	127224.84	122920.84	91511.52	90946.24
9499	आंगनवाड़ी भवनों में विद्युत व्यवस्था	0.00	0.00	7391.00	7390.56	2539.00	2538.77
9545	विभागीय परिसम्पत्तियों का संधारण	0.00	0.00	8401.14	4047.51	1770.55	700.82
9586	लाडली लक्ष्मी योजना निधि (ब्याज भुगतान)	0.00	0.00	50000.00	50000.00	0.01	0.00
9601	घरेलू हिंसा से पीड़िता के लिये सहायता	0.00	0.00	541.25	41.59	4.53	4.53
9614	महिलाओं के लिये रोजगारमूलक आर्थिक सहायता	0.00	0.00	5000.00	0.00	2200.00	2200.00
9632	मिशन शक्ति	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
9646	मिशन वातसत्य	0.00	0.00	0.53	0.00	0.02	0.00
9647	सक्षम आंगनवाड़ी पोषण -2.0	0.00	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
7660	कार्यक्रम आयोजन एवं प्रबंधन	0.00	0.00	2491.65	2302.06	8000.01	7932.26
4065	विशेष अवसरों पर प्रचार	0.00	0.00	1069.00	1051.18	3108.72	3106.85
1098	मध्यप्रदेश महिला वित्त विकास निगम की स्थापना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1130	मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	1474300.00	1473395.94
1195	Non Institutional Care Sponsorship, Foster	0.00	0.00	0.00	0.00	4937.40	4937.40
1197	चाईल्ड हेल्प लाईन (न्यू स्कीम)	0.00	0.00	0.00	0.00	2033.37	1340.92
7698	शौर्या दल का गठन	0.00	0.00	0.00	0.00	153.14	88.34
1097	जेण्डर बजटिंग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1099	नारी अदालत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1100	हब फॉर एम्पावरमेंट (एच.ई.डब्ल्यू.)	0.00	0.00	0.00	0.00	25.08	0.00
	महायोग महिला एवं बाल विकास	538573.17	483554.47	698261.73	576144.29	2132075.06	2043812.77

जेंडर बजट

जेंडर रेस्पोंसिव बजटिंग (GRB) एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे जेंडर समानता एवं जेंडर समता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को विभिन्न शासकीय योजनाओं शामिल किया जाता है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि बजट कैसे जेंडर समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे सकता है। राज्य सरकार ने वर्ष 2007-2008 से जेंडर बजट की प्रक्रिया कुछ चयनित विभागों के साथ शुरू की थी। वर्ष 2023-2024 में प्रदेश के 30 विभागों के द्वारा जेंडर बजट स्टेटमेंट प्रस्तुत किया जा रहा है।

वित्त विभाग से निर्देशित जेंडर रेस्पोंसिव बजटिंग (GRB) प्रक्रिया के तहत राज्य के वार्षिक बजट के साथ जेंडर बजट स्टेटमेंट (GBS) प्रारूप को प्रकाशित करता है। मध्यप्रदेश के लिए पहला जेंडर बजट स्टेटमेंट (GBS) वित्तीय वर्ष 2007-2008 में प्रस्तुत किया गया था। मध्यप्रदेश के जेंडर बजट स्टेटमेंट को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है :-

- भाग-ए या श्रेणी-1 : ऐसी योजनाएं और कार्यक्रम

जो महिलाओं और बालिकाओं के लिए विशेष रूप से 100 प्रतिशत बजट आवंटित किया जाता है।

- भाग-बी या श्रेणी-2 : ऐसी योजनाएं और कार्यक्रम जिनमें 30 से 99 प्रतिशत महिलाओं और बालिकाओं के लिए बजट आवंटित किया जाता है।

वर्ष 2021-2022 में श्रेणी-1 की 37 योजनाओं को 13 विभागों द्वारा जेंडर बजट स्टेटमेंट में रिपोर्टिंग की गई जो वर्ष 2023-2024 में 14 विभागों की 51 योजनाएं बढ़कर हो गई हैं।

प्रदेश की सामाजिक संरचना में महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने के संदर्भ में राज्य सरकार की सबसे बड़ी रणनीति जीवन के सभी क्षेत्रों और आयामों में महिलाओं के लिए बजट आवंटन को बढ़ावा देना है। यह महत्वपूर्ण कदम महिलाओं के अधिकारों को संरक्षित करने और क्रियान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मध्यप्रदेश के कुल बजट में जेंडर बजट का प्रतिशत

वित्तीय वर्ष	प्रदेश का कुल बजट (राशि करोड़ में)	जेंडर बजट	कुल बजट (प्रतिशत)
2021-2022	रुपये 2,17,813	70467.00 (पुनरीक्षित अनुमान)	32.4 %
2022-2023	रुपये 2,47,715	86706.00 (पुनरीक्षित अनुमान)	35.0 %
2023-2024	रुपये 3,14,025	102976.00 (बजट अनुमान)	32.7 %

स्रोत — मध्यप्रदेश बजट, वाल्यूम 6, वर्ष 2022-2023, 2023-2024, वित्त विभाग

महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा विभिन्न विभागों में क्षमतावर्धन की पहल का नेतृत्व कर रहा है। इसके लिये अन्य गतिविधियों के साथ विभाग द्वारा जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग (GRB) पर कार्यशालाओं का भी आयोजन किया जा रहा है।

कृषि क्षेत्र में जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग (GRB) की प्रक्रिया को बल प्रदान करने के लिए, राज्य कृषि विस्तार प्रशिक्षण संस्थान (SIAET) ने अपने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में जेंडर और जेंडर रेस्पॉन्सिव बजटिंग पर दो घंटे का मॉड्यूल शामिल किया गया है।

जेंडर बजटिंग पर दो घंटे का ऑनलाइन सत्र दिनांक 9 अक्टूबर 2023 को आयोजित किया गया। महिला बाल विकास और यू.एन.वुमेन (UNWomen) के द्वारा कृषि में क्षेत्रीय अध्ययन के निष्कर्षों को शामिल करते हुए यू.एन.वुमेन (UNWomen) के महिला बाल विकास के तकनीकी सलाहकार द्वारा सत्र संचालित किया गया।

लाल बहादुर शास्त्री अकादमी, मसूरी द्वारा "ADVANCING GENDER BUDGETING IN INDIA - A COMPREHENSIVE APPROACH- भारत में जेंडर बजटिंग को आगे बढ़ाना—एक व्यापक दृष्टिकोण" वेबिनार को 22 सितंबर 2023 को आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों की भागीदारी महिला बाल विकास द्वारा सुनिश्चित किया गया।

तथ्य आधारित सामाजिक एवं आर्थिक विकास पर सम्मेलन में अटल बिहारी सुशासन भवन, यूनिसेफ, यू.एन.वुमेन (UNWomen) द्वारा आयोजित सम्मेलन 11 से 13 सितंबर 2023 को कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री के अगुवाई में आयोजित किया गया। "जेंडर एवं बाल बजट" सत्र पर विभाग के द्वारा प्रतिनिधियों ने सत्र प्रस्तुत किया गया। यू.एन.वुमेन (UNWomen) द्वारा जेंडर बजटिंग के सत्र को संचालित किया गया एवं मध्यप्रदेश के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति सुनिश्चित किया गया।

पंचायत प्रतिनिधियों (महिला सरपंचों) के लिए जेंडर

बजटिंग पर 24 अगस्त 2023 को अटल बिहारी सुशासन भवन (AIGPA) द्वारा सत्र आयोजित किया गया जिसका था "She is a Change maker - वह एक परिवर्तन निर्माता है"। इस सत्र में यू.एन.वुमेन (UNWomen) के महिला बाल विकास विभाग के जेंडर बजटिंग के तकनीकी सलाहकार द्वारा सत्र लिया गया।

जेंडर बजट सेल के गठन एवं पुनरोद्धार से सम्बंधित महिला विभाग में गठित जेंडर बजट सेल के द्वारा 14 सितंबर 2023 को सभी विभागों को आदेश भेजा गया, पत्र के संलग्न में जेंडर डायग्नोस्टिक टूल प्रपत्र भी भेजा गया ताकि विभिन्न विभागों में जेंडर बजटिंग से सम्बंधित कार्यों की एकत्रित जानकारी प्राप्त की जा सके।

जेंडर विषय पर प्रशिक्षण

सिविल सोसाईटी / स्वयं सेवी संस्थाओं के साथ राज्य स्तरीय जेंडर कार्यशाला

महिला बाल विकास विभाग द्वारा के UNFPA सहयोग से सिविल सोसाईटी / स्वयं सेवी संस्थाओं के साथ जेंडर संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन दिनांक 2 दिसम्बर 2023 को किया गया, जिसमें विभिन्न संस्थाओं से 30 प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग कर विषय से सम्बंधित विचार साझा किये।

राज्य स्तरीय जेंडर संवेदीकरण कार्यशाला

महिला बाल विकास विभाग द्वारा UNFPA के सहयोग से एक दिवसीय जेंडर संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन दिनांक 20 दिसम्बर 2023 को किया गया, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से सहायक संचालक, परियोजना अधिकारी, बाल कल्याण समिति के सदस्यों ने प्रतिभाग किया। कार्यशाला में 80 प्रशिक्षणार्थियों ने प्रतिभाग किया।

चाइल्ड बजटिंग

मध्यप्रदेश में 40 प्रतिशत से अधिक की जनसंख्या 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की है जो कि राज्य के युवा आबादी का सूचकांक है। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा देश में पहली बार आउटकम ओरिएंटेड चाइल्ड बजटिंग (Outcome Oriented Child Budgeting) मॉडल को अपनाया गया है। जिसके तहत यह सुनिश्चित किया गया की बाल अधिकार और बाल विकास के सभी क्षेत्रों में एकीकृत, समन्वित, साक्ष्य-आधारित निवेश किया जाये। प्रदेश बच्चों के अधिकांश विकास और संरक्षण में हमेशा से जागरूक एवं प्रयत्नशील रहा है चाइल्ड बजटिंग इसी संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022 –2023 के वार्षिक बजट में पहली बार चाइल्ड बजट को प्रस्तुत किया गया। बच्चों के लिए पर्याप्त संसाधन विकसित करने के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में चाइल्ड बजट को सम्मिलित कर प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया था। वर्तमान में देश के 10 से भी ज्यादा राज्यों में चाइल्ड बजटिंग पर कार्य किया जा रहा है। चाइल्ड बजट में उन योजनाओं को बजटीय प्रावधानों में दर्शाया गया है जो कि बच्चों के सतत् विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं।

चाइल्ड बजटिंग में निम्न प्रकार के कार्यक्रमों और योजनाओं/उप-योजनाओं को शामिल किया गया है :

- बाल केंद्रित आवंटन (भाग क) – बाल केंद्रित आवंटन में ऐसे कार्यक्रम शामिल हैं जो 100 प्रतिशत बाल-संबंधित हैं और जो विशेष रूप से

जन्म –18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को लक्षित करते हैं।

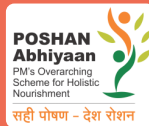
- बाल उत्तरदायी आवंटन (भाग ख) – इसमें ऐसे कार्यक्रम, योजना/उप-योजना हैं जिसमें 30% या अधिक आवंटन बच्चों पर किया जा रहा है।

महिला और बाल विकास विभाग, विभिन्न विभागों के साथ समन्वय कर प्राथमिकता से बाल विकास परिणामों की पहचान कर सभी मौजूदा कार्यक्रमों और योजनाओं को चाइल्ड बजट में सम्मिलित करने में प्रयत्नशील हैं। वर्तमान में महिला एवं बाल विकास विभाग सहित अन्य 17 विभागों द्वारा चाइल्ड बजटिंग प्रस्तुत किया जा रहा है। (महिला एवं बाल विकास, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, स्कूल शिक्षा, विमुक्त घुमक्कड़, जनजाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, अनुसूचित जाति कल्याण, सामाजिक न्याय और निःशक्तजन कल्याण, जनजातीय कार्य, आयुष, संस्कृति, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण, विधि और विधायी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खेल और युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार, नगरीय विकास एवं आवास आदि)

गतिविधियां

दिनांक 17 मार्च 2023 एवं 13 सितम्बर 2023 को आउटकम ओरिएंटेड चाइल्ड बजटिंग पर विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारियों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया।





संचालनालय महिला एवं बाल विकास

विजयाराजे वात्सल्य भवन, 28-A, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)